वर्ष: 2024-25, अंक: 07

प्रवर्तन संदेश

निदेशालय मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका

राजभाषा एवं गणतंत्र

हीरक जयंती

"आने वाला समय भारत की भाषाओं का समय है-सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत कर हिंदी के साथ सभी का संवाद स्थापित किए बिना राजभाषा का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकता"

-माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह

हिंदी दिवस (हीरक जयंती) समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप-प्रज्वलित करते हुए
श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष : 2024-25 (अप्रैल - सितम्बर, 2024)

मुख्य संरक्षक एवं अनुप्रेरक

श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली

मार्गदर्शक

श्री सुभाष अग्रवाल, विशेष निदेशक (मुख्यालय) एवं पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय
श्री प्रशांत कुमार, विशेष निदेशक, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
श्रीमती सोनिया नारंग, विशेष निदेशक, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली
श्री सत्यव्रत कुमार, विशेष निदेशक, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
श्री अभिषेक गोयल, विशेष निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

परामर्शदाता

श्री अभ्युदय ए. आनंद, अपर निदेशक, दिल्ली जोनल कार्यालय-1, नई दिल्ली
श्री जितेंद्र कुमार गोगिया, संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
श्रीमती नेहा यादव, संयुक्त निदेशक, दिल्ली जोनल कार्यालय-2, नई दिल्ली
श्री मधुर डी. सिंह, संयुक्त निदेशक (आसूचना), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
सुश्री अंशु चौधरी, संयुक्त निदेशक (सिस्टम एवं प्रशिक्षण), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली

संपादक–मण्डल

मुख्य संपादक: श्री विशाख कृष्णा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
संपादक: श्री एम.थांगसुअनसांग जौ, उप निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
श्री सुंदर शॉ, सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
सह-संपादक: श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली
सहयोग: श्री हर्ष कुमार मीना, आशलिपिक-2, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली

नोट: पत्रिका में प्रकाशित विधाओं/रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं, विभाग/कार्यालय का सहमत होना आवश्यक नहीं तथा जहां कहीं भी दूसरे स्त्रोतों से ज्ञानवर्द्धक सामग्रियाँ साभार ली गई हैं, उनका उद्देश्य हिंदी में उनके प्रचार-प्रसार एवं ज्ञानवर्धन से इतर नहीं है। मौलिकता की जिम्मेवारी रचनाकारों की है। पत्रिका के लिए सुझाव एवं पत्राचार के लिए कृपया कार्यालय से संपर्क करें: प्रवर्तन निदेशालय, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली -110011, ईमेल: **harsh.meena@gov.in**

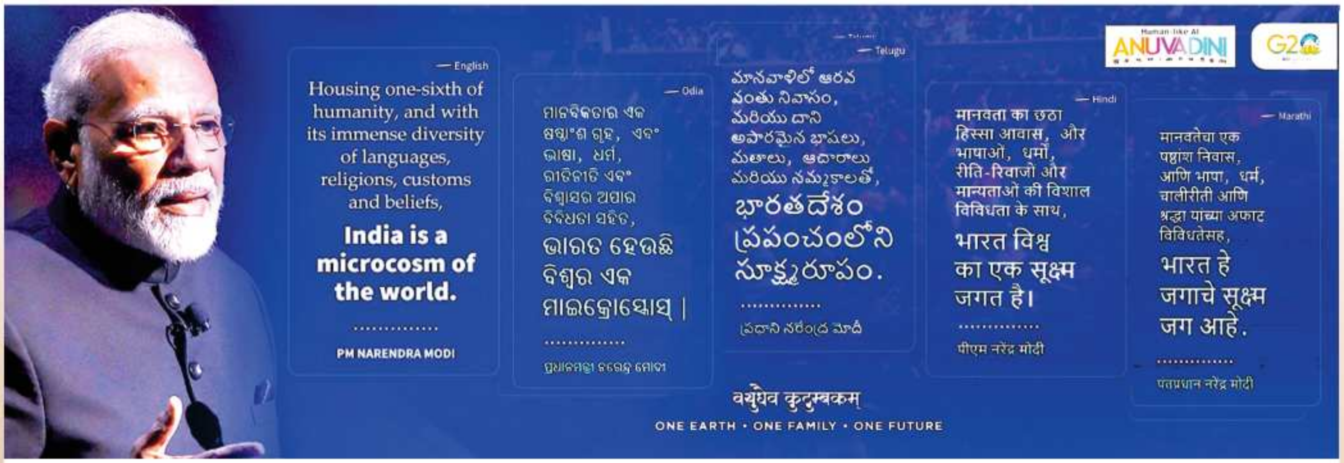

कंठस्थ : राजभाषा विभाग, भारत सरकार के राजकीय कामकाज के लिए बेहतरीन अनुवाद विकल्प है।

अनुवादिनी : शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद टूल ही नहीं बल्कि हिंदी समेत अन्य भाषाओं के लिए डिजिटल इंडिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम संसाधन है। इसमें अनुवाद के अतिरिक्त बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो सभी वर्गों के लिए लाभकारी है।

भाषिणी : यह भारत सरकार के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का विशेष विकल्पों के साथ एक बेहतरीन अनुवाद टूल है।

इनके अतिरिक्त गूगल समेत कई देशी विदेशी अनुवाद टूल्स/चैट जीपीटी और अन्य तकनीक उपलब्ध है जो भाषा की सीमाओं को लांघकर आज 'वसुधैव कुटुंबकम' के संकल्पों को साकार करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बहु-भाषा शिक्षण एक वरदान है, दुनिया को अधिक जानने और आत्मसात करने का। केंद्र सरकार का क्रांतिकारी प्रयास निश्चित ही 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार रूप देने की दिशा में अग्रसर है।

'प्रवर्तन संदेश' के आगामी अंकों में हम इसी तरह की तकनीकी आधारित जानकारियों के साथ उपस्थित होते रहेंगे।

प्रस्तुत अंक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उपर्युक्त महान संदेश को सँजोने पर हम गर्व महसूस करते हैं।

- संपादकीय डेस्क, प्रवर्तन संदेश, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

संदेश

राजभाषा नीति के अनुपालन में प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की गृह पत्रिका-'प्रवर्तन संदेश' के नवीनतम अंक का प्रकाशन एक सुखद एवं सराहनीय प्रयास है।

आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया/वेबसाइट्स एवं अन्य डिजिटल संचार माध्यमों में प्रामाणिक और उपयोगी सामग्री (कंटेन्ट) की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ई-पत्रिकाओं/पुस्तकों का प्रकाशन एवं रचनात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना न केवल हमारी भाषाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आशावान संकेत है, बल्कि विकसित भारत की डिजिटल यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'प्रवर्तन संदेश' अब राजभाषा विभाग के ई-पुस्तकालय के साथ-साथ हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होने जा रही है ।

हिंदी में समसामयिक घटनाओं पर लेख, विभाग से जुड़ी अद्यतन जानकारियों एवं सूचनाओं के साथ-साथ रुचिपूर्ण साहित्य एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं/अंग्रेजी से अनूदित सामग्री आदि ने इस पत्रिका को औचित्यपूर्ण कलेवर प्रदान किया है।

मैं आशा करता हूँ कि अपने नाम के अनुरूप, 'प्रवर्तन-संदेश', पत्रिका न केवल कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि जगाते हुए इसके प्रयोग के लिए प्रेरक होगी, बल्कि निश्चित रूप से निदेशालय के सभी कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीतियों के प्रचार-प्रसार तथा इसके कार्यान्वयन के लिए 'संदेश-वाहक' भी सिद्ध होगी।

पत्रिका के संपादक मण्डल एवं रचनात्मक योगदान देने वाले सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

जय हिन्द !

राहुल नवीन

(राहुल नवीन)

विशेष प्रवर्तन निदेशक (मुख्यालय)
प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय,
नई दिल्ली, भारत सरकार।

शुभकामना

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका का नूतन अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। पत्रिका के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिस सृजनात्मक क्षमता एवं रचनाशीलता का परिचय दिया है वह सराहनीय है। तकनीकी विषयों का हिंदी भाषा में प्रस्तुतीकरण राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

किसी तथ्य या घटनाओं की कल्पना करने से हमारे मन में विचार आते हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें एक उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें से ही कुछ विचार समाज और राष्ट्र को दिशा एवं प्रेरणा देने का काम भी करते हैं। कार्यालय की हिंदी पत्रिका, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में तो अपनी महती भूमिका निभाती ही है, साथ ही कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मन में चल रहे विचारों एवं भावनाओं को भी चित्रित करती है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्य को करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नई ऊर्जा, ताजगी एवं उत्साह का अनुभव अवश्य हो रहा होगा।

मैं प्रस्तुत अंक के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रवर्तन निदेशक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के बिना इस पत्रिका का प्रकाशन संभव नहीं था।

मैं पत्रिका से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ तथा पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूँ।

जय हिन्द !

सुभाष

(सुभाष अग्रवाल)

विशेष प्रवर्तन निदेशक
(मध्य क्षेत्र और मुख्यालय)
प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय,
नई दिल्ली, भारत सरकार।

शुभकामना

'प्रवर्तन संदेश' का नया संस्करण: हिंदी भाषा और राजभाषा के प्रचार में एक महत्वपूर्ण पहल है| हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और भाषाई विविधता में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी न केवल भारतीय भाषाओं/बोलियों के मधुर सम्मिश्रण की एक मानक भाषा है, बल्कि यह भारत की राजभाषा भी है।

अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी कार्यों में हर कोई अंग्रेजी के व्यवहार के लिए आकर्षित रहते हैं, जिससे हिंदी भाषी कर्मचारियों को अपनी भाषा में संवाद करने में झिझक होती है। 'प्रवर्तन संदेश' का नया संस्करण इस स्थिति को बदलने में मदद करेगा, हिंदी में कार्य-शैली को प्रोत्साहित करेगा। यह पत्रिका कर्मचारियों को हिंदी में कानूनी और तकनीकी शब्दावली को समझने का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। जब सरकारी कर्मचारी अपनी भाषा में कार्य करते हैं, तो कार्यस्थल का माहौल सहज होता है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है।

आशा है कि 'प्रवर्तन संदेश' का यह नया संस्करण प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के बीच हिंदी को एक प्रभावी कार्यभाषा के रूप में अपनाने का माध्यम बनेगा। यह पत्रिका न केवल विभाग के कार्यों और नीतियों को हिंदी में प्रस्तुत करती है, बल्कि कर्मचारियों को अपनी मातृभाषा में काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रभावी उपयोग बढ़ाने से कर्मचारियों में अपनी भाषा को लेकर गर्व और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह कदम राजभाषा हिंदी के प्रचार के साथ-साथ कर्मचारियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व महसूस कराता है।

कुल मिलाकर, 'प्रवर्तन संदेश' का नया संस्करण एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक प्रतीत होता है, जो न केवल प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रिका के संपादक मण्डल बधाई के पात्र हैं । सभी को पत्रिका के प्रकाशन की अशेष शुभकामनाएं ।

जय हिन्द !

(सोनिया नारंग)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय,
नई दिल्ली, भारत सरकार।

मुख्य संपादक की कलम से..

हिंदी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' ने अपने सफर में आज एक और कदम आगे बढ़ा लिया है, अपने पारंपरिक पुस्तक स्वरूप से अब वह अपनी डिजिटल यात्रा पर भी निकल पड़ी है। इसका ई-प्रकाशन भी निश्चित ही समय के मांग के अनुरूप एक उपलब्धि है।

निःसंदेह आज हिंदी सम्पूर्ण भारत में संपर्क और सम्प्रेषण की भाषा के रूप में फैल रही है और विश्व की सबसे अधिक बोलने और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। टेलीविजन, मीडिया, सिनेमा एवं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से हिंदी हमारे लोक-व्यवहार में बहुत ज्यादा शामिल है, जिसके कारण इसे सीखना, सहज एवं स्वाभाविक है। सरकारी नीतियों के तहत राजभाषा हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज निष्ठापूर्वक हिंदी में करना संविधान में निहित संकल्पनाओं के अनुरूप है।

आज का युग सूचना-प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर का युग है। कार्यालयीन कामकाज को कंप्यूटर पर हिंदी में करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम नई-नई तकनीकों को अपनाएं। इस दिशा में राजभाषा विभाग एवं केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए गए विभिन्न आईटी टूल्स जैसे, कंठस्थ, अनुवादिनी, भाषिणी आदि और युनिकोड फॉन्ट समर्थित अन्य सॉफ्टवेयर काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। हिंदी में टंकण और अनुवाद के लिए उपलब्ध इन टूल्स की सहायता से हम कम समय में ज्यादा काम हिंदी में कर सकते हैं।

मैं निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अनुप्रेरणा और मार्गदर्शन से ही इस पत्रिका का इतने कम समय में प्रकाशन हो सका है ।

आशा करता हूँ कि पत्रिका के इस अंक में सभी के लिए कुछ न कुछ ज्ञानवर्द्धक और रोचक पाठ-सामग्री शामिल करने का प्रयास किया गया है और आगे, आप सभी अपने बहुमूल्य सुझावों से संपादक मण्डल को प्रोत्साहित करेंगे ।

जय हिन्द !

(विशाख कृष्णा)

“हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों और भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।”

— श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

अनुक्रमणिका

क्रम सं	विषय	लेखक/प्रस्तुतकर्ता	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रवर्तन निदेशालय का संकल्प: सुरक्षित अर्थव्यवस्था से 'विकसित भारत' की ओर**	प्रवर्तन निदेशक महोदय के मूल लेख का हिंदी संस्करण।	1-7
2.	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्तियों/परिसंपत्तियों का प्रत्याहरण: एक रिपोर्ट	दिल्ली जोनल कार्यालय-1, नई दिल्ली।	8-10
3.	राजभाषा की हीरक जयंती वर्ष (1949-2024) तक की यात्रा की संक्षिप्त उपलब्धियां।	राजभाषा विभाग से साभार पुनरप्रस्तुति- संपादकीय डेस्क।	11-14
4.	हिन्दी के महान साहित्यकार : कवि गजानन माधव मुक्तिबोध	संपादकीय डेस्क, प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली।	15-18
5.	लेख- श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर, कटरा नील, चाँदनी चौक, दिल्ली	श्री विजय आचार्य, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	19-20
6.	लेख- भारत की प्राचीन संस्कृति और धरोहर में शास्त्रीय संगीत	श्री महेश मालखरे, वैज्ञानिक सहायक, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय,चण्डीगढ़।	21-23
7.	लेख- महात्मा गांधी एवं स्वच्छता	श्री जगदीश यादव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़।	24-25
8.	कविता- मेरा भारत	श्री हेमंत कुमार पांडे, सहायक निदेशक, पटना जोनल कार्यालय, पटना।	26
9.	कविता- जीवन की राहें, जिंदगी का सफर	सुश्री आशा, प्रवर्तन अधिकारी,प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	27
10.	कविता- कविताएं, युद्ध और बुद्ध	श्री विनय कुमार द्विवेदी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रयागराज उप आंचलिक कार्यालय।	28
11.	कविता- ईश्वर से एक प्रार्थना	श्री विकाश, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	29
12.	कविता- खामोश सदाएं	सुश्री अनीता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	30
13.	कविता- ओ नन्ही-सी चिड़िया	श्री आकाश कुमार साह, आशुलिपिक-2, पटना जोनल कार्यालय, पटना।	31
14.	कविता- सपनों की ऊंचाई	श्री पुलकित,गोदारा, प्रवर श्रेणी लिपिक, दिल्ली जोनल कार्यालय-2 नई दिल्ली।	32
15.	लेख- धोनी (कैप्टन कूल) अजर-अमर है!	श्री अनुराग मिश्रा, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, पटना जोनल कार्यालय, पटना।	33

अनुक्रमणिका

क्रम सं	विषय	लेखक/प्रस्तुतकर्ता	पृष्ठ संख्या
16.	लेख- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी भाषा की भूमिका	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	34-36
17.	लेख- आजादी की भाषा है हिन्दी!	श्री हर्ष कुमार मीना, आशुलिपिक-2, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	37
18.	लेख- आत्मनिर्भर भारत में हिन्दी भाषा की भूमिका	श्री विदुर कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	38-39
19.	प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) के हिन्दी पखवाड़ा-2024 में आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम;	मुख्यालय स्तर पर	40-41
20.	प्रतियोगिताओं का परिणाम: प्रवर्तन निदेशालय,मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़ा 2024 में आयोजित	निदेशालय स्तर पर	42
21.	हिन्दी पखवाड़ा-2024 में पुरस्कृत लेख- समान नागरिक संहिताः संवैधानिक विधिक एवं व्यावहारिक संदर्भ।	सुश्री रूपम, विधिक परामर्शदाता, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।	43-45
22.	हिन्दी पखवाड़ा-2024 में पुरस्कृत लेख- विकसित भारत @ 2047: चुनौतियाँ एवं संभावनाएं।	सुश्री अन्नू मित्तल, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	46-47
23.	हिन्दी पखवाड़ा-2024 में पुरस्कृत लेख- धन शोधन निवारण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग: एफ ए टी एफ (FATF) एवं जी-20 के संदर्भ में।	श्री शिवम सचान, आशुलिपिक-2, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।	48-49
24.	विधि शब्दावली, भारत सरकार से उद्धृत एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप	प्रस्तुतीकरण:- संपादकीय डेस्क	50
25.	"प्राथमिकी शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए":	- माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय।	51-52
26.	उर्दू/हिन्दी/अंग्रेजी उपयोगी शब्दों के रूपांतरण का संकलन	संपादकीय डेस्क, प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली।	53-63
27.	प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) में हिन्दी पखवाड़ा, 2024 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के चित्र आदि	संकलित	64-71

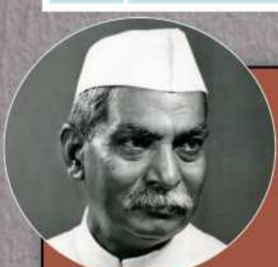

" हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। "

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

विशेषज्ञ का पन्ना :

प्रवर्तन निदेशालय का संकल्प: सुरक्षित अर्थव्यवस्था से 'विकसित भारत' की ओर

वित्तीय अपराधों के खिलाफ भारत की लड़ाई में ईडी की भूमिका: वित्तीय कार्रवाई कार्यबल/फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की मूल्यांकन रिपोर्ट और अंतर्दृष्टि-

आर्थिक अस्थिरता और संघर्ष के बोझ से दबी दुनिया में, भारत आशावाद और विकास की किरण के रूप में उभरा है। राष्ट्र का तेजी से आर्थिक विकास वित्तीय अखंडता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा रेखांकित किया गया है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध धन और संपत्ति का मुकाबला करने के अपने सक्रिय उपायों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस सतत विकास के केंद्र में भारत की एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की क्षमता है, जहां स्वच्छ धन और संपदा निर्माताओं को बढ़ावा दिया जाता है, साथ-साथ धन शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) से आक्रामक रूप से निपटा जाता है।

इस संबंध में 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) द्वारा प्रकाशित पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानि कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट (एमईआर), भारत की सफलता और वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में भारत में धन शोधन निवारण को कानूनी रूप से लागू करने वाली संस्था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कौशल का एक प्रमुख प्रमाण है। 6 और 24 नवंबर, 2023 के बीच किए गए ऑन-साइट मूल्यांकन पर आधारित यह व्यापक मूल्यांकन, वैश्विक मानकों के साथ भारत की वित्तीय प्रणालियों को संरेखित करने के लिए वर्षों के कार्रवाइयों की परिणति को चिह्नित करता है। "रिपोर्ट में भारत के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण निरोधी (काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग) ढांचे की प्रभावशीलता पर बल दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण संस्था रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय अपराध के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है।"

वैश्विक मानकों का एक व्यापक ढांचा :

भारत का पारस्परिक मूल्यांकन कई देशों के बारह विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने का व्यापक अनुभव था। उनके काम की परिणति एफएटीएफ की 40 सिफारिशों और 11 तत्काल परिणामों के आधार पर एक विस्तृत मूल्यांकन के रूप में हुई। यह मूल्यांकन वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने वाली प्रणालियों को

विकसित करने के लिए प्रयास करने वाले अन्य देशों के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क है।

अपनी ऑन-साइट यात्रा के दौरान, मूल्यांकन विशेषज्ञों ने ईडी के साथ-साथ विभिन्न अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), नियामकों और निजी क्षेत्र के सदस्यों और अधिकारियों का साक्षात्कार लिया। चर्चा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि भारत घरेलू और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, दोनों से उत्पन्न जोखिमों को कितने प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। टीम ने पाया कि भारत के कानूनी ढांचे और जोखिम-आधारित तरीकों ने उच्च स्तरीय प्रबंधन का प्रदर्शन किया है। साइबर-धोखाधड़ी, रैंसमवेयर और अवैध लेनदेन में क्रिप्टो-संपत्ति के बढ़ते उपयोग के साथ समकालीन धन शोधन (एमएल)/आतंक वित्तपोषण (टीएफ) के जोखिमों की उन्नत समझ के लिए ईडी की प्रशंसा की गई। एफएटीएफ ने उभरते खतरों का सामना करने के लिए ईडी द्वारा अपनाए गए रणनीतियों के तहत प्रयासों को विधिवत मान्यता दी है।

ईडी लगातार उभरने वाले जोखिमों की पहचान और उन्हें संबोधित करने में अत्यधिक जोर देता है जो विशेष रूप से पारंपरिक मामलों, जैसे कि बैंक धोखाधड़ी से साइबर-जनित धोखाधड़ी और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों जैसे नए जोखिमों से जुड़े अधिक जटिल मामलों में परिवर्तन से परिलक्षित होता है। यह गौरतलब है कि कैसे ईडी की वास्तविक कार्रवाइयाँ अचल संपत्तियों और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में वित्तीय अपराध को कम करने में बड़ा प्रभावशाली रहा है, खासकर, बैंक धोखाधड़ी के मामले, जिनके कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि होती है, उनमें उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसके अलावा, भारत में जमीन-जायदाद (रियल एस्टेट) के क्षेत्र में किए गए सुधारों को देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जा रहा है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने भारत को जोखिम की समझ के लिए तत्काल परिणाम-1 के अंतर्गत 'काफी प्रभावी' रेटिंग देकर इन प्रयासों को स्वीकार किया है।

ईडी का खुफिया नेटवर्क: सक्रिय और सतर्क :

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सफलता की आधारशिला विभिन्न स्रोतों से वित्तीय खुफिया एकत्र करने की क्षमता में निहित है, जो इसे प्रतिक्रियात्मक रूप के बजाय सक्रिय रूप से समय पर कार्य करने में सक्षम बनाती है। वित्तीय खुफिया के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ-साथ एग्मोंट समूह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खुफिया के साथ ईडी का घनिष्ठ समन्वय, एक उल्लेखनीय विशिष्टता है। इस बहु-स्रोत खुफिया प्रणाली में वित्तीय संस्थानों, आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) और विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ सहयोग शामिल है। ये साझेदारियां ईडी को सीमा पार वित्तीय गतिविधियों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने की अनुमति और अपनी जांच क्षमताओं का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। एफएटीएफ मूल्यांकनकर्ताओं के साथ साझा किए गए भारत के मामलों का अध्ययन (केस स्टडीज), ईडी की खुफिया आधारित अभियानों के ठोस उदाहरण हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा उद्धृत एक उदाहरण- आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए बनी एक सरकारी छात्रवृत्ति योजना का दुरुपयोग शैक्षणिक संस्थानों के एक समूह द्वारा सार्वजनिक धन को गबन करने के लिए किया गया था। धोखाधड़ी गतिविधि का संकेत देने वाली संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के बाद, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-आईएनडी) द्वारा एक परिचालन विश्लेषण से पता चला कि लाभार्थियों और संस्थानों के बीच संदिग्ध संबंध रखने वाले अयोग्य व्यक्तियों के लिए कई बैंक खाते खोले गए थे, जिनके माध्यम से छात्रों के लिए संस्थानों में धन अंतरित किया गया या नकद में वापस ले लिया गया। ईडी ने इस विश्लेषण के आधार पर एक जांच शुरू की, जिससे फरवरी, 2023 में 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी में 3.6 मिलियन रुपये नकद, 1200 सिम कार्ड, एक माइक्रो एटीएम और अन्य अपराध संकेती साक्ष्य सामने आए। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 1 बिलियन रुपये का घोटाला सामने आया, जिसमें शैक्षणिक संस्थान अयोग्य उम्मीदवारों के लिए फ़र्ज़ी छात्रवृत्ति आवेदन जमा कर रहे थे। जांच के परिणामस्वरूप तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एमईआर) ने भारत के मजबूत वित्तीय खुफिया नेटवर्क को विधिवत मान्यता दी है और इसकी प्रशंसा की है,

जिससे देश को तत्काल परिणाम-6 के अंतर्गत वित्तीय खुफिया के उपयोग पर केंद्रित 'प्रभावशीलता का उच्च सोपान' वाले देशों में शुमार किया है।

मामलों का चयन और जांच: एक पद्धतिगत दृष्टिकोण:

मूल्यांकनकर्ताओं ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों की पहचान और जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पेशेवर और पद्धतिगत दृष्टिकोण की भी सराहना की है। ईडी के पास उन मामलों की पहचान के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण है, जो धन शोधन जांच को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें खुले स्रोत, विधि प्रवर्तक एजेंसियों, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंडिया) द्वारा प्रत्यक्ष सुराग (संकेत) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) जांच की पहचान करने की यह बहु-स्रोतीय दृष्टिकोण, ईडी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नियोजित प्रमुख प्रणालियों में से एक जोखिम मूल्यांकन निगरानी समिति (आरएएमसी) है, जो धन शोधन (एमएल) जांच के लिए उनकी प्रासंगिकता के लिए हजारों संभावित मामलों का आकलन करती है। जोखिम मूल्यांकन निगरानी समिति (आरएएमसी) असंख्य मामलों की जांच करने और जांच के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने, भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक प्रभावी कार्य करती है। जोखिम मूल्यांकन निगरानी समिति (आरएएमसी) विभिन्न कारकों के आधार पर मामलों का चयन करती है; जैसे कि बड़ी संख्या में पीड़ित, या प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी, बड़े नेटवर्क से जुड़े ड्रग तस्करी के मामले, भले ही वे मात्रा सीमा को पूरा नहीं करते हों, आदि। जोखिम मूल्यांकन निगरानी समिति (आरएएमसी) ने पोंजी योजनाओं, ऋण धोखाधड़ी, शिक्षक भर्ती घोटालों और अवैध खनन की जांच शुरू की है। यह दृष्टिकोण धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच को राष्ट्रीय जोखिम प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है, उच्च-प्रोफ़ाइल और जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि मामूली वित्तीय अपराधों की अनदेखी भी न हो।

भारत में अपराध के आगम का बड़ा हिस्सा धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अवैध दवाओं और हथियारों की तस्करी जैसे विधेय अपराधों से उत्पन्न किया गया था। **ये फंड या तो भारत के भीतर खपाए हुए हैं या बैंकों, शेल कंपनियों, व्यापार-आधारित धन शोधन (टीबीएमएल), हवाला और कैश कूरियर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों के साथ अपतटीय स्थानों (विदेशों) में पहुंचाए गए हैं।** समीक्षाधीन अवधि में, ईडी ने 22,000 से अधिक विधेय अपराधों की जांच की, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार और ड्रग्स की तस्करी सामान्य हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने अंतर्निहित विधेय अपराधों द्वारा धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच पर आंकड़ों का भी हवाला दिया है, जो इंगित करता है कि धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध जांच का लगभग 50.1% थे, जो जोखिम विश्लेषण के साथ-साथ पूरक भी हैं।

इसी तरह, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की मात्र 19.4% और संगठित आपराधिक समूहों में भागीदारी आदि के मामले 17.8% रहे। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने स्वीकार किया है कि ईडी द्वारा जांच के लिए मामलों का चयन भारत में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के जोखिमों के अनुरूप है।

हालांकि, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आने वाली कुछ तकनीकी चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लिए कई संवैधानिक चुनौतियों के कारण, जो शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थे, कई परीक्षणों में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) अभियोजन और दोषसिद्धि से संबंधित तत्काल परिणाम 7 के लिए 'मध्यम प्रभावशीलता' रेटिंग हुई।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने

सिफारिश की है कि "भारत को नए और पिछले (बैकलॉग) दोनों के लिए धन शोधन (एमएल) मामलों में लंबित परीक्षणों की संख्या को कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए, धन शोधन (एमएल) के मामलों से जुड़े दोषसिद्धि की कम संख्या को संबोधित करने और दोष-आधारित जब्ती को बढ़ाने के साथ-साथ बड़े बदलाव करते हुए न्यायालय-प्रणाली की क्षमता बढ़ाने और सक्रिय रूप से ईडी की क्षमता में विस्तार के लिए प्रयास करना चाहिए।"

आपराधिक आगम का अधिहरण : भारत की प्राथमिकता:

प्रवर्तन निदेशालय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक अपराध के आगम की पहचान और अधिहरण है। यह एक बहुआयामी कार्य है, जिसका उद्देश्य न केवल आपराधिक गतिविधियों से अधिहृत संपत्तियों की वसूली करना है, बल्कि वित्तीय अपराध को अपराधियों के लिए एक गैरलाभकारी उद्यम बनाना भी है। इस कार्रवाई के कई उद्देश्य हैं: अपराधियों के लिए वित्तीय अपराधों में संलिप्ता को गैरलाभकारी बनाना; अपराध के आगम की वसूली और देश और समुदाय के कल्याण के लिए उनका उपयोग करना; और चोरी किए गए धन को पीड़ितों को वापस दिलाना। अधिहरण पर भारत की लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय नीति को जी20 की अध्यक्षता के दौरान और बल मिला, जब परिसंपत्ति वसूली को एक अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रोत्साहित किया गया और जिसे एफएटीएफ द्वारा सकारात्मक रूप में स्वीकार किया गया। 2018 और 2023 के बीच, समीक्षा अवधि के दौरान, ईडी ने 83,412 करोड़ रुपये के अपराध के आगम का सफलतापूर्वक पता लगाया और इन्हें कुर्क किया, जिसकी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। इसी अवधि के दौरान 16,537 करोड़ रुपये की संपत्ति अधिहृत की गई, जिसे या तो ईडी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया या जहां भी आवश्यक हो, पीड़ितों को वापस किया गया।

विजय माल्या और अन्य लोगों से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले में धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करके बैंक के नेतृत्व वाले संघ को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची गई थी, उस ऋण को तब शेल कंपनियों के माध्यम से हड़प लिया गया था और भारत और विदेशों दोनों में अचल संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था। ईडी ने 112.9 बिलियन रुपये (ईयूआर

1.25 बिलियन) के अपराध के आगम की पहचान की, जिसमें से 50.4 बिलियन रुपये (ईयूआर 560.3 मिलियन) अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से जब्त किए गए थे। माल्या की भारत से अनुपस्थिति के बावजूद, ईडी ने वैश्विक स्तर पर उसकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किया, जिसमें से भारत में मौजूद कई संपत्तियाँ और फ्रांस में 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति सहित कई जब्तियां हुईं।

2021 में, बैंक संघ (कंसोर्टियम) के आवेदन पर, एक विशेष अदालत ने शुरुआती दौर में शिनाख्त अपराध के आगम की तुलना में अर्जित ब्याज सहित 25% अधिक संपत्ति बैंक संघ को 141.3 बिलियन (यूआर 1.57 बिलियन) वापस करने का आदेश दिया। **आपराधिक परीक्षण (सुनवाई) पूरी होने से पहले दिए गए इस ऐतिहासिक प्रत्याहरण से यह सुनिश्चित हुआ कि धोखाधड़ी से प्राप्त धन को समयबद्ध तरीके से पीड़ितों को लौटाया गया।**

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों सहित जब्त की गई परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन में ईडी के प्रयासों को भी विधिवत मान्यता दी है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी की जांच के दौरान, ईडी ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी और टोकन के लिए अपराध के आगम का पता लगाया, जिसका मूल्य भारतीय रुपये में 144.7 मिलियन (5 मिलियन यूरो) था। वर्चुअल परिसंपत्तियों को ईडी के नाम पर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में जब्त और सुरक्षित किया गया था। मूल्यह्रास को रोकने के लिए, ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी को फिएट मुद्रा (अधिदिष्ट मुद्रा) में बदलने के लिए विशेष अदालत से मंजूरी मांगी गई। संबंधित पार्टी की सहमति प्राप्त करने के बाद, अदालत ने जब्त संपत्ति के मूल्य को सुरक्षित रखते हुए मुद्रा-रूपांतरण को अधिकृत किया।

अपराध के आगम का अधिहरण केवल अपराधियों को दंडित करने के बारे में नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए

है। चुराए गए धन को पीड़ितों को वापस करके, ईडी आर्थिक समता और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने अधिहरण और परिसंपत्ति प्रबंधन में ईडी की दक्षता को मान्यता देते हुए, **भारत को अपराध के आगम के अधिहरण से संबंधित तत्काल परिणाम 8 के अंतर्गत 'काफी प्रभावी' माना।**

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

अपराध के आगम के बहिर्वाह के कारण भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण संसाधनों को बाहर कर देता है, बल्कि विकास को भी अवरुद्ध करता है और आर्थिक असमानता को बनाए रखता है। वित्तीय अपराध सहित धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) अपराधों की सफल जांच एवं अभियोजन तथा परिसंपत्ति का प्रत्यावर्तन लगभग पूरी तरह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कई क्षेत्राधिकारों में अन्य सक्षम प्राधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है। इस तरह के सहयोग जानकारी साझा करने, जांच का समन्वय करने, परिसंपत्तियों को फ्रीज करने और अदालती आदेशों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी जांच इकाई (ओआईयू) की सुविधाओं से सम्पन्न ईडी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रक्रियातंत्र सीमाओं के पार अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

ईडी ने अंतरराष्ट्रीय धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामलों पर साक्ष्य और जानकारी जुटाने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ-साथ पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। इसके अलावा, एरिन, इंटरपोल, ग्लोब नेटवर्क, एग्मोंट ग्रुप, सीमा शुल्क विदेशी खुफिया नेटवर्क (कॉइन), आयकर विदेशी इकाइयों (आईटीओयू) के साथ-साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए खुफिया और जानकारी एकत्र करने के लिए प्रत्यक्ष एजेंसी-से-एजेंसी साझेदारी जैसे कई अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग करने,साथ ही परिसंपत्ति वसूली प्रयासों को बढ़ावा देने में ईडी सक्रिय रहा है।

नतीजतन, एफएटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित तत्काल परिणाम 2 के अंतर्गत भारत को 'काफी प्रभावशील' माना। यह विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने की भारत की ताकत को दर्शाता है, जो अंतरराष्ट्रीय धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े मामलों के लिए निर्णायक है और यह महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि अपराधी और अपराध के आगम दुनिया में कहीं भी शिकंजे से बाहर नहीं है।

निष्कर्ष: वित्तीय अखंडता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण:

भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पुष्टि और भावी सुधारों के लिए एक खाका के रूप में कार्य करती है। राजस्व विभाग के नेतृत्व में भारत का मजबूत धन शोधन निवारक/ आतंकवादी वित्तपोषण निरोधी (एएमएल/ सीएफटी) ढांचा जटिल और उभरते खतरों से निपटने में प्रभावी साबित हुआ है। जबकि न्यायिक देरी और कुछ तकनीकी बाधाएं बनी हुई हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के मूल्यांकन में भारत का समग्र प्रदर्शन वित्तीय अपराध से निपटने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जिस तरह भारत अपनी वित्तीय खुफिया, मामला चयन प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में अग्रसर है, तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस लड़ाई में सबसे आगे दृढ़ता से डटा हुआ है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की वित्तीय प्रणाली, घरेलू और वैश्विक दोनों खतरों का सामना करने लिए प्रतिरोधक बनी रहे। इस मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करने की दिशा में देश की क्षमता को रेखांकित करता है। **यह मान्यता कि भारत का एएमएल/सीएफटी पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है,हमारी प्रणाली और अर्थव्यवस्था में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विश्वास मजबूत करेगा।** इस पारिस्थितिकी तंत्र की धुरी के रूप में, ईडी अपनी संगठनात्मक प्रभावशीलता में उत्तरोत्तर सुधार करने में प्रयासरत है। **हम समझते हैं कि वित्तीय अपराधों से लड़ना, स्वच्छ धन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, भारत के संकल्पों के 'विकसित भारत' के लिए किए जाने वाले प्रयासों का एक बुनियादी हिस्सा है।**

जय हिन्द !

आभार: यह लेख श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक के हिंदुस्तान टाइम्स में दिनांक 20-09-2024 को प्रकाशित मूल लेख का हिंदी संस्करण है।

भारत ने वैश्विक परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क को मजबूत किया : भारत परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क –एशिया पैसिफिक) की संचालन समिति में हुआ शामिल, 2026 में अध्यक्षता संभालेगा और वार्षिक साधारण बैठक की मेजबानी करेगा भारत।

-एक विवेचना

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रतिनिधित्व में भारत को परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) की संचालन समिति में शामिल किया गया है| एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपराध के आगम (पी ओ सी)से निपटने के लिए समर्पित एक प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क और वैश्विक कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क-सीएआरआईएन) का एक सदस्य है। यह नई भूमिका भारत को परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में सहयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में योगदान करने में सक्षम बनाएगी, जिससे इसके आर्थिक अपराधों से निपटने और वैश्विक स्तर पर परिसंपत्ति वसूली के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) में अपने महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता के साथ भारत इस नेटवर्क की अध्यक्षता करेगा और 2026 में होने वाली वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की मेजबानी करेगा। भारत के लिए यह उपलब्धि एक मील का पत्थर है, जो परिसंपत्ति वसूली में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु एक अनूठा मंच प्रदान करती है| परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) की स्थापना परिसंपत्ति का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और जब्त करने के लिए

2024 में आयोजित नेटवर्क की वार्षिक साधारण बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए प्रवर्तन निदेशक: श्री राहुल नवीन एवं संयुक्त निदेशक: सुश्री नेहा यादव

सीमा पार सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी| परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) में 28 सदस्य क्षेत्राधिकार और नौ पर्यवेक्षक शामिल हैं और यह कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क-सीएआरआईएन) के हिस्से के रूप में एक अनौपचारिक लेकिन मजबूत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। यह संपर्क बिंदुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जो सदस्य एजेंसियों और भारत की नोडल एजेंसी के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली ईडी सहित कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क-सीएआरआईएन) के 100 से अधिक क्षेत्राधिकारों के बीच प्रभावी संचार और खुफिया आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

➢ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सभी अपराधों से अर्जित आय से प्राप्त परिसंपत्तियों की खोज और वसूली को प्राथमिकता देना।

➢ परिसंपत्ति वसूली में विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना और ज्ञान साझा करना।

➢ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूनाईटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम-यूएनओडीसी) और कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) जैसे संगठनों के साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।

➢ अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) और कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क -सीएआरआईएन) क्षेत्राधिकारों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस नेटवर्क से लाभ मिलता है, क्योंकि यह सीमा पार की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का पता लगाने में सहायता करता है। परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) और वृहत्तर कैमडेन परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क (कैमडेन ऐसेट रिकवरी इन्टरएजेंसी नेटवर्क-सीएआरआईएन) के माध्यम से, एजेंसियाँ व्यक्तियों, परिसंपत्तियों और कंपनियों के बारे में अनौपचारिक रूप से जानकारी का आदान-प्रदान कर सकती हैं, जिससे प्रायः अपराध के आगम की पहचान और वसूली में तेज़ी आती है।

परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क- एशिया प्रशांत (एआरआईएन-एपी) में भारत की भागीदारी परिसंपत्ति का पता लगाने और वसूली की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रही है, खासकर विदेशी संबंधों वाले मामलों में। इस मंच ने ईडी को अनौपचारिक रूप से खुफिया जानकारी प्राप्त करने और साझा करने में सक्षम बनाया है, जिससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से औपचारिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है।यह जी20 ढांचे के तहत भारत की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने और परिसंपत्ति की वसूली पर केंद्रित नौ सूत्री एजेंडा के साथ संरेखित है, जिसका प्रतिपादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्तियों /परिसंपत्तियों का प्रत्याहरण

एक रिपोर्ट

1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) में प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धन शोधन में शामिल किसी संपत्ति/परिसम्पत्ति को बैंकों सहित वैध हित वाले तीसरे पक्ष के दावाकर्ताओं को वापस करने का आदेश दे सकता है।

2. एक उल्लेखनीय पहल करते हुए, ईडी ने पीड़ितों/वैध दावाकर्ताओं को लगभग 22,280 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का सफलतापूर्वक प्रत्याहरण किया है। यह उपलब्धि पीएमएलए की धारा 8 (7) और 8 (8) के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डालती है,जो सही मालिकों को संपत्ति के प्रत्याहरण की अनुमति देती है, जब यह निर्धारित हो जाता है कि संपत्तियों को शुरू में अवैध माध्यमों से अधिग्रहित किया गया था, लेकिन वैध रूप से निर्दोष पक्षों से संबंधित है।

3. धनशोधन अपराधों के पीड़ितों और/या वैध दावाकर्ताओं की पहचान करने के लिए सभी मामलों में प्राथमिकता पर केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपराध के आगम की वापसी की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है कि इन सही दवाकर्ताओं को संपत्ति की शीघ्र वापसी द्वारा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हो, जिससे अवैध वित्तीय गतिविधियों के पीड़ितों को होने वाले नुकसान का समाधान हो सके।

उपर्युक्त को समझने के लिए एक मामले का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है,जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8 (7) और 8 (8) के प्रभावी उपयोग की एक स्पष्ट व्याख्या है:

प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रत्याहरण किया है, जो कि दिवाला और दिवालियापन

संहिता (आईबीसी) की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] का सफल समाधान आवेदक [एसआरए] था। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड [बीपीएसएल] की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था क्योंकि उसके तत्कालीन प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा दिया था और निजी निवेश के लिए बैंक फंड की हेराफेरी की थी। सीबीआई द्वारा 05-04-2019 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत जांच शुरू की गई थी। प्राथमिकी में धन शोधन निवारण अधिनियम के अनुसूचित अपराध शामिल थे और यह आरोप था कि पूर्ववर्ती बीपीएसएल ने बैंकों से 47,204 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि बीपीएसएल और उसके प्रमोटरों ने बैंक फंड को शेयरों और संपत्तियों के रूप में निजी निवेश में बदल दिया। फर्जी खर्च/खरीद/पूंजीगत संपत्ति दिखाने के लिए बही-खाता में हेराफेरी की गई और इस तरह बैंक फंड को नकदी के रूप में निकाल लिया गया।

नकदी को विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों [कर्मचारियों/छद्म निदेशकों के नाम पर रखे गए] की बही-खाता में लाया गया और इसका उपयोग शेयरों और अचल संपत्तियों के रूप में निवेश के लिए किया गया। ईडी ने 10-10-2019 को 4025 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां [भूमि, भवन, मशीनरी, आदि] कुर्क की थीं, क्योंकि जांच में पता चला था कि प्रमोटरों ने बैंक फंड की हेराफेरी की है। ईडी ने इस मामले में 22-11-2019 को मुख्य प्रमोटर संजय सिंघल को गिरफ्तार किया और उनके और अन्य प्रमुख कर्मचारियों के खिलाफ 17-01-2020 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान उसी तारीख को लिया गया और मुकदमा लंबित था। जांच जारी रही और ईडी ने संजय सिंघल के लाभकारी स्वामित्व वाली विभिन्न संस्थाओं के 427 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति [अचल संपत्तियां, विमान, आदि] को कुर्क किया। ऐसे लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की जानी थी तथा और बैंकों को उक्त संपत्तियों का प्रत्याहरण भी किया जाना था। लेनदार बैंकों के द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू किया गया और जिसमें जेएसडब्ल्यू लगभग 19,350 करोड़ रुपये [लगभग] की राशि के लिए सफल समाधान आवेदक [एसआरए] था। 47,204 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों के मुकाबले बैंकों को केवल 19,350 करोड़ रुपये मिल रहे थे। हालांकि, समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा 05-09-2019 को मंजूरी दी गई थी, उसी को जेएसडब्ल्यू और अन्य ने चुनौती दी थी।

ईडी ने 10-10-2019 को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की ताकि पीड़ितों [जो मौजूदा मामले में बैंक थे] को इसे वापस किया जा सके। समाधान योजना को अंततः17-02-2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया। लेनदारों की समिति [पीड़ित बैंकों] ने ईडी के कुर्की आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। ईडी ने भी विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। चूंकि बैंकों [जो ऋणदाता और पीड़ित थे और जिनके लाभ/प्रतिपूर्ति के लिए ईडी द्वारा कुर्की की गई थी] ने ईडी के कुर्की आदेश को चुनौती दी थी और वे चाहते थे कि संपत्तियां जेएसडब्ल्यू [आईबीसी के तहत एसआरए] को वापस कर दी जाए, इसलिए ईडी ने व्यावहारिक

दृष्टिकोण अपनाया और संपत्तियों को सफल समाधान आवेदक (एसआरए) को वापस करने का निर्णय लिया।

ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें पीएमएलए संपत्ति प्रत्याहरण नियमों के नियम ३क के साथ पठित पीएमएलए की धारा 8(8) के दूसरे परंतुक (परीक्षण लंबित रहने के दौरान प्रत्याहरण) के तहत कुर्क की गई संपत्तियां [कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कवर की गई] जेएसडब्ल्यू को वापस करने की प्रार्थना की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) मामलों में जहां संपत्ति पहले से ही ईडी द्वारा कुर्क की गई है, उसमें सफल समाधान आवेदक [एसआरए] प्रत्याहरण की मांग करते हुए विशेष न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जहां ईडी द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए जाते हैं और अभियोजन शिकायत दर्ज की जाती है, ऐसी कुर्क की गई संपत्तियों का निपटान अदालत के अधीन होता है। पीएमएलए विशेष अदालत, पीएमएलए संपत्ति प्रत्याहरण नियमों के नियम 3क के साथ पठित पीएमएलए की धारा 8(8) के दूसरे परंतुक (मुकदमा लंबित रहने तक प्रत्याहरण) के तहत संपत्ति वापस करने का आदेश दे सकती है। यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए के उक्त प्रावधानों के माध्यम से,सफल समाधान आवेदक [एसआरए] को कुर्क की गई संपत्तियों की अभिरक्षा (कस्टडी) दी जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को संपत्ति वापस भी की जा सकती है। इससे दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और पीएमएलए के उद्देश्यों का अनुपालन भी सुनिश्चित होगा। इसी संदर्भ में माननीय न्यायालय से दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का सामंजस्यपूर्ण व्याख्या प्रदान करने का अनुरोध किया गया ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में मदद मिले।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में आगे कहा गया कि वर्तमान मामले में चूंकि इस मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर पहले ही विस्तार से सुनवाई हो चुकी है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधे ही कुर्क की गई संपत्तियों को जेएसडब्ल्यू [एसआरए] को वापस का आदेश जारी कर सकता है और इसे पीएमएलए के तहत प्रत्याहरण के रूप में मान सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए जेएसडब्ल्यू को संपत्ति के प्रत्याहरण का आदेश दिया।

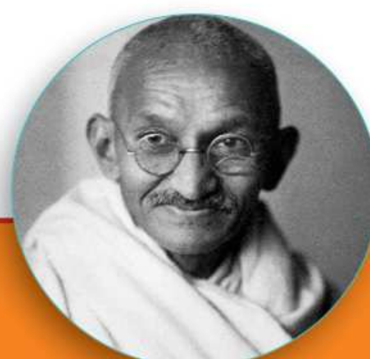

“राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है ”

-महात्मा गांधी

राजभाषा हिंदी की हीरक जयंती (1949-2024) तक की यात्रा की संक्षित उपलब्धियां (राजभाषा विभाग की स्मारिका से साभार)

1.	14 सितंबर, 1949	हिंदी को राजभाषा बनाने का संविधान सभा का निर्णय।
2.	26 जनवरी, 1950	भारत का संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें भाषाई प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए।
3.	1952	तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ।
4.	जुलाई, 1952	हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण आरंभ। 1955 में यह योजना गृह मंत्रालय को सौंपी गयी।
5.	1953	14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय।
6.	07 जून, 1955	बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन। (संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत)
7.	31 जुलाई, 1956	खेर आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।
8.	सितंबर, 1957	खेर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन। (तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में)
9.	8 फरवरी, 1959	संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत।
10.	27 अप्रैल, 1960	संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी के आदेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं।
11.	1960	हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण आरंभ। 1974 से उपक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य।
12.	1960	शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी निदेशालय का गठन।
13.	1960	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 10 मई, 1963- संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग में ली गई।
14.	1967	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते रहे हैं।

15.	1968	संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिंदी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिंदी के साथ-साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र अपनाए जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है। (संकल्प 18.1.1968 को अधिसूचित हुआ)
16.	01 मार्च, 1971	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों, बैंकों आदि के मैनुअलों, कोडों, प्रपत्रों तथा अन्य विविध असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च, 1971 को की गई। तब से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो लगातार यह कार्य कर रहा है। उपर्युक्त सामग्री के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूची जाती/जनजाति आयोग, पांचवां वेतन आयोग, जैन आयोग आदि विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का अनुवाद कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया।
17.	1975	राजभाषा विभाग की स्थापना।
18.	1976	संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 4(1) के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं।
19.	1976	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। (बाद में इस नियमों में 1987, 2007 तथा 2011 में संशोधन किए गए)
20.	1977	श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया।
21.	09 सितंबर, 1981	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्तें, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गत वर्ष 1981 में केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया था। राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। इस समय इस संवर्ग में 1020 स्वीकृत पद हैं।

22.	1985	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन। राजभाषा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिन्द आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई।
23.	1990	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पत्राचार माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण आरंभ किया गया।
24.	2015	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी भाषा पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ।
25.	2018	राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद टूल कंठस्थ 1.0 का लोकार्पण कराया गया।
26.	जुलाई, 2020	भारत की नई शिक्षा नीति, 2020 में मातृभाषाओं और हिंदी को विशेष महत्व देने की अनुसंशा।
27.	सितंबर, 2020-23	सितंबर 2020 को संसद ने मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
28.	14 सितंबर, 2022	राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण।
29.	फरवरी, 2023	राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 के मोबाइल एप का लोकार्पण।
30.	13-14 नवंबर, 2021	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
31.	14-15 सितंबर, 2022	सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस एवं दुसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
32.	14-15 सितंबर, 2023	पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।
33.	14-15 सितंबर, 2024	भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस एवं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन।

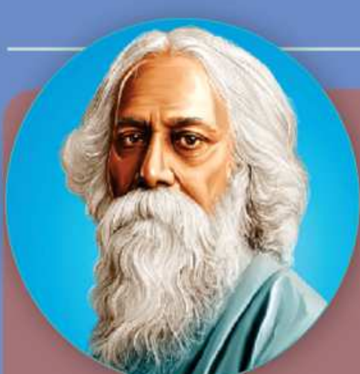

"भारतीय भाषाएं नदियां है और हिन्दी महानदी"

-गुरुदेव टैगोर

भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'हिंदी दिवस एवं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' में गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें....

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने का हमारा रोडमैप आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास और गौरव के साथ हिंदी में अपना संबोधन देकर हिंदी की स्वीकृति को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था तब पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी। श्री शाह ने कहा कि आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन चुकी है और 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी बन चुकी है। हिंदी अब अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 साल की यात्रा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर इसके माध्यम से देश की सभी स्थानीय भाषाओं को जोड़ते हुए अपने संस्कार, संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, कला और व्याकरण को संरक्षित और संवर्धित करने की यात्रा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी की 75 वर्षों की यह यात्रा अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के अंतिम पड़ाव पर खड़ी है और आज का दिन हिंदी को संपर्क, जन भाषा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने का दिन है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ हुआ है और हम सब जिस छोटे से बीज के बोए जाने के साक्षी बने हैं, वह आने वाले वर्षों में एक वटवृक्ष बन कर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केन्द्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा।

श्री अमित शाह ने हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का लोकार्पण भी किया।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो, तो वह देवनागरी ही हो सकती है"

-जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर

हिन्दी के महान साहित्यकार :

कवि गजानन माधव मुक्तिबोध

जैसा कि सितंबर माह राजभाषा हिंदी के लिए महत्वपूर्ण माह है, हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा के रूप में हम इस महीने हिंदी की चिंता करते हैं, इसके प्रचार-प्रसार में अपना सक्रिय सहयोग देते हैं। अपने-अपने स्तर पर राजभाषा हिंदी में कार्यालयी कामकाज करते हुए हिंदी के प्रति अपने स्नेह, संकल्प को दोहराते हैं। इस सितंबर राजभाषा के 75 वें वर्ष (हीरक जयंती) के अवसर पर हिंदी आधुनिक कविता के जनवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें हम मुक्तिबोध के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, की कविताओं का पढ़ते हुए कुछ साहित्यकारों के मतामत से परिचित भी होंगे, उनकी कविताओं एवं रचना-दृष्टि पर की गई कुछ साहित्यिक समीक्षाओं को पढ़ते हुए, उन्हें जानेंगे,अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे-

जन्म : 13 नवंबर 1917 ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में।
विधाएँ : कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, इतिहास ।
प्रमुख कृतियाँ : कविता संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी-भूरी खाक धूल कहानी संग्रह : काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी।
आलोचना : कामायनीः एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, समीक्षा की समस्याएँ, साहित्यिक की डायरी।
इतिहास : भारत: इतिहास और संस्कृति ।
निधन : 11 सितंबर 1964, दिल्ली ।

विशेष : पहली बार व्यवस्थित रूप में 'अज्ञेय' द्वारा संपादित 'तार सप्तक' में अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हुए। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनके जीवनकाल में उनकी कविता की कोई किताब नहीं प्रकाशित हो पाई। उनके जीवनकाल में उनकी सिर्फ एक किताब 'एक साहित्यिक की डायरी' छपी। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित 'मुक्तिबोध रचनावली' (सात खंड) उनकी समग्र रचनावली है।

कुछ नए आलोचकों/संपादकों/पाठकों की समीक्षाओं/आलोचनाओं के माध्यम से मुक्तिबोध के जानने का प्रयास इस लेख में किया गया है ,जो निश्चित ही हम सभी को मुक्ति बोध के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा :

प्रार्थना

बस कभी इतनी कृपा यदि कर सको तुम-
जब न मन बेचैन पाएगा
कहीं इस उष्ण दुपहर में जगत की
एक जल बिन्दु भी ओ
एक तरू की सघन छाया भी उसे
जब दूर कर देगी जब बहिष्कृत कर चुके होंगे मुझको
विजन के सरि-किनारे
वस्तुएँ सब दो-दुनिया की पराई हो चुकी होंगी
उपेक्षा की लिए वे लौह-आँखे
जब न मन बेचैन पाएगा कहीं पर ठोर अपना
हो चुके अपना पराया वही सपना
तब तुम्हीं यदि डाल दोगे दूर से ही दृष्टि नीरव
वह नखत की
बस तभी मैं झेल लूँगा उष्णतम दुपहर जगत की

छायावादोत्तर प्रगतिशील कविता की एक परम्परा केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन की है तो दूसरी परम्परा के वाहक हैं मुक्तिबोध।

बीसवीं सदी की हिंदी कविता का सबसे बेचैन, सबसे तड़पता हुआ और सबसे ईमानदार स्वर हैं- गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता जटिल है और उसकी जटिलता के कारण हैं। भगवान सिंह ने उनकी कविता की जटिलता का बयान कुछ इस तरह किया है, 'वे सरस नहीं हैं सुखद नहीं हैं। वे हमें झकझोर देती हैं, गुदगुदाती नहीं। वे मात्र अर्थग्रहण की मांग नहीं करती, आचरण की भी मांग करती हैं।'

तारसप्तक में मुक्तिबोध ने स्वयं कहा है, 'ये मेरी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं। उनका सत्य और मूल्य उसी जीवन-स्थिति में छिपा है।'

'ब्रह्मराक्षस' और 'अंधेरे में' वे प्रतिनिधि कविताएं हैं जिनसे मुक्तिबोध की कविता और उनकी रचना प्रक्रिया को समझा जा सकता है। कुबेरनाथ राय ने लिखा है, जैसे 'टिण्टर्न ऐबी' और 'इम्मॉर्टलिटी ओड' को पढ़कर वर्ड्सवर्थ को या 'राम की शक्तिपूजा', 'बादल राग' और 'वनवेला' को पढ़ कर निराला को पहचाना जा सकता है.... वैसे ही इन दो कविताओं को पढ़ कर मुक्तिबोध के कवि-व्यक्तित्व को समझा जा सकता है।

मुक्तिबोध आज होते तो 99 वर्ष पूरे कर चुके होते। नहीं हैं,तो एक तरह से अच्छा ही है। वे होते तो हमसे हमारी 'पॉलिटिक्स' पूछ रहे होते, हमारे अन्तः करण के संक्षिप्त होते आयतन पर उलाहना दे रहे होते और पर्वत काटने का हौसला बख्श रहे होते।

-प्रियंकर पालीवाल, सम्पादक, अक्षर

जिंदगी के....
कमरों में अँधेरे
लगाता है चक्कर
कोई एक लगातार;
आवाज पैरों की देती है सुनाई
बार-बार.... बार-बार,
वह नहीं दीखता.... नहीं ही दीखता,
किंतु वह रहा घूम
तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक,
भीत-पार आती हुई पास से,
गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि-सा
अस्तित्व जनाता
अनिवार कोई एक,
और मेरे हृदय की धक् धक्
पूछती है-वह कौन
सुनाई जो देता, पर नहीं देता दिखाई !
इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से
फूले हुए पलिस्तर,
खिरती है चूने-भरी रेत
खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह-
खुद-ब-खुद
कोई बड़ा चेहरा बन जाता है,
स्वयमपि
मुख बन जाता है दिवाल पर,
नुकीली नाक और
भव्य ललाट है,
दृढ़ हनु
कोई अनजानी अन-पहचानी आकृति ।
कौन वह दिखाई जो देता, पर
नहीं जाना जाता है!
कौन मनु ?

'अँधेरे में' कविता जहां से शुरू होती है वह जगह ज़िंदगी का एक अँधेरा कमरा है। यह कविता एक लंबी फीचर फिल्म की तरह है। 'वह कौन, सुनाई जो देता, पर नहीं देता दिखाई'। इस अज्ञात की खोज में कवि भटकता है। दुनिया एक तिलिस्मी खोह में बदल जाती है। इस खोह में गहन अँधेरा है। इस अँधेरे में जैसे कहीं रौशनी पड़ती है और कुछ दृश्य परदे पर उभरते हैं। कवि इन दृश्यों के पीछे-पीछे भागता है। दृश्य में सक्रिय एक जानी-पहचानी दुनिया है। उस जानी-पहचानी दुनिया में किसी चश्मदीद गवाह का होना बेहद खतरनाक है। लिहाजा कवि, जिसने इन दृश्यों को न सिर्फ देखा है बल्कि उसमें चमकते चेहरों को पहचान भी लिया है, अब उनके लिए बेहद खतरनाक है। वे इस गवाह की हत्या कर देना चाहते हैं। इस पूरी कविता में एक तिलिस्मी दुनिया दिखाई देती है। कविता के प्रारम्भ में उभरे तीन बिम्ब कवि की अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति की पूर्ण अवस्था है अर्थात जो है और जो चाहिए उसके बीच के तनाव में आविर्भूत आत्म चेतना। जंगल से आती हवा उन मशालों को ही बुझा देती है। वह पुनः अँधेरे में, आहत और अचेत पड़ा मिलता है। यह उसकी सजा है। कल्पना की जा सकती है कि वह कैसा समाज होगा जहां सवाल करने की ऐसी सजा मुकर्रर है।

कहना पड़ता है कि यह व्यक्ति-संघर्ष की कविता ही नहीं बल्कि लोक-संघर्ष की कविता भी है। वह भागता है- भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़। आत्मलोचन करता है। और इस आत्मलोचन से निकला प्रश्न- अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इसी दरम्यान वह पाता है 'विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि'। एक गहरा अवसाद भरा पश्चाताप कि उसे 'लोक-हित क्षेत्र से कर दिया वंचित'।

- नील कमल, कवि-आलोचक

अब तक क्या किया,
जीवन क्या जिया !!
बताओ तो किस-किसके लिए तुम दौड़ गये,
करुणा के दृश्यों से हाय! मुँह मोड़ गये,
बन गये पत्थर,
बहुत-बहुत ज्यादा लिया,
दिया बहुत-बहुत कम,
मर गया देश, अरे जीवित रह गये तुम !!

लो-हित-पिता को घर से निकाल दिया,
जन-मन-करुणा- सी माँ को हंकाल दिया,
स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया,
भावना के कर्तव्य-त्याग दिये,
हृदय के मंतव्य - मार डाले !
बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया,
तर्कों के हाथ उखाड़ दिये,
जम गये, जाम हुए, फँस गये,
अपने ही कीचड़ में धँस गये !!

विवेक बघार डाला स्वार्थी के तेल में
आदर्श खा गये !
अब तक क्या किया,
जीवन क्या जिया,
ज्यादा लिया और दिया बहुत-बहुत कम
मर गया देश, अरे जीवित रह गये तुम...."

"मेरे हिसाब से मुक्तिबोध हिंदी के सबसे ईमानदार और इसलिए सबसे मेधावी साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को नये तेवर और मुहावरे दिए इसलिए उनकी कविता सच्चे अर्थों में नई कविता है। ईमानदारी उनमें वह साहस भर देती जो उन्हें 'मध्ययुगीन भक्ति-आन्दोलन का एक पहलू' लिखने तक ले जाती है 'वे हिंदी में चली आ रही 'समन्वय की विराट चेष्टा' के प्रशस्ति में लिपटे गलदश्रु मानस के कायल नहीं हैं। लेकिन वे ऐसी कोशिशों की भर्त्सना नहीं करते बल्कि विश्लेषण करते हैं और कामायनीः एक पुर्विचार जैसे बौद्धिक सारगर्भित अंतर्दृष्टिपूर्ण लेख लिखते हैं। मुक्तिबोध विरूद्धों में सामंजस्य की कोशिश नहीं करते शुक्लादि की तरह, बल्कि इस तनाव को खुद से होकर गुजर जाने देतें हैं,उसे मेटाफिजिक्स और संग्रहवाद (eclecticism) के हवाले नहीं करते। इसलिए उनका आत्मसंघर्ष तीखा है।

'अँधेर में' कविता में भी यह तनाव स्पष्ट है। एक तरफ वह वहां गाँधी जैसे अहिंसावादी को याद करते हैं तो दूसरी तरफ उस कविता में कहीं आग लग जाती है कहीं गोली चल जाती है। निजत्व और ममत्व (सर्वहारा के प्रति) का यह द्वंद मुक्तिबोध के भीतर बड़ा तीखा और बीहड़ है। संसार को बदलने के लिए खुद को बदलने की शर्त की पीड़ा को झेलते हुए वह रमाशंकर रसालो की आत्ममुग्धता से बाहर निकल आते और इस द्वन्द को रचनाओ में भी पिरोते हैं। इसलिए उनकी रचना में आत्मप्रवंचना नहीं है, अपनी कमजोरियों की ठेठ ईमानदार स्वीकारोक्ति है। लेकिन यह ग्लानि अंतिम नहीं है, इससे आगे जाकर खुद की तलाश के सिलसिले में 'सकर्मक प्रेम की अतिशयता' उपलब्ध करते हैं। 'चकमक की चिनगारिया' में वे लिखते हैं कि-

'मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में अमग कर
जन्म लेना चाहता फिर से कि व्यक्तित्वान्तरित होकर
- नये सिरे से समझना और जीना चाहता हूँ सच !!'

यह व्यक्तित्वान्तरण ही उनकी कविता का प्रस्थान बिंदु है।

- जय प्रकाश,सहायक संपादक,अनलहक

मुक्तिबोध की अंतिम दिनों के बारे में परसाई जी अपने संस्मरण में लिखते हैं 'भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुक्तिबोध जब मौत से जूझ रहे थे, तब उस छटपटाहट को देखकर मोहम्मद अली ताज ने कहा था-

"उम्र भर जी के भी न जीने का अन्दाज आया
जिन्दगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया"

जो मुक्तिबोध को निकट से देखते रहे हैं, जानते हैं कि दुनियावी अर्थों में उन्हें जीने का अन्दाज कभी नहीं आया. बीमारी से लड़कर मुक्तिबोध निश्चित जीत गए थे। बीमारी ने उन्हें मार दिया, पर तोड़ नहीं सकी। मुक्तिबोध का फौलादी व्यक्तित्व अन्त तक वैसा ही रहा। जैसे जिन्दगी में किसी से लाभ के लिए समझौता नहीं किया, वैसे मृत्यु से भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। वे मरे। हारे नहीं। मरना कोई हार नहीं होती।

प्रस्तुतीकरणः–सुन्दर शॉ, संपादकीय डेस्क

विजय आचार्य,
सहायक निदेशक,
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर, कटरा नील, चाँदनी चौक, दिल्ली

दिल्ली अपनी प्राचीनता, धर्म प्रवीणता, ऐतिहासिकता, नवीनता, राजनीति और नये-नये प्रयोग करने के कारण सदैव मानव मन को लुभाती रही है।

विद्यापुरी स्थित घंटेश्वर- विश्वनाथ महादेव मंदिर अपने वेद दर्शन विभिन्न मतों के वाद-विवाद, नास्तिकों के प्रलाप, ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति, शक्ति और शिव के सायुज्य से पूरित विद्यापुरी अपनी मनोहरी छठा में रुद्र सूक्त की ऋचाओं से गुंजित वातावरण, सुगंधित धूप सौरभ के साथ ज्ञान रश्मियों को फैला कर अपने वैदूष्य का घोष करता हुआ प्राचीन वैभव की यादों को सँजोये हुए गर्व से चाँदनी चौक के कटरा नील में स्थापित है।

काशी और कटरा नील (विद्यापुरी) को एक समान प्रतिष्ठित करने में विद्वानों ने पद्म पुराण और सौभारी संहिता का आश्रय लिया है। कहा जाता है कि आर्यावर्त में दो विद्यापूरियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। काशी को भी विद्यापुरी कहा जाता है। कटरा नील की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मन को लुभाने वाली घुमावदार, पतली गलियां काशी की याद दिला देती है। मकानों की बनावट बहुत पुरानी और प्राचीन वैभव को दर्शाती है। देवी मूर्तियाँ प्राचीन विग्रह कला का परिचय देती हैं। यदि मन सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने की भूमिका में हो तो शायद प्राचीनता से मन का जुड़ना संभव हो सकेगा। लेकिन कहीं न कहीं आर्यावर्त के इस विशिष्ट प्राचीन स्थान में ज्ञान और भक्ति का अंश आज भी विद्यमान है।

तीव्र गर्मी का उमस भरा दिन चाँदनी चौक में चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल, हिन्दू हृदय सम्राट महाराजाधिराज शिवाजी के आगमन का समाचार हवा में श्रद्धा युक्त भ्रम को भरता हुआ, मुगल सत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती देने वाले महान शिवभक्त श्री शिवा जी महाराज के आगमन से दिल्ली में सभी राष्ट्र धर्म प्रेमियों ने शिवाजी की पूजा हेतु देवादि देव श्री महादेव जी की पूजा का प्रबंध किया। पूजा हेतु विद्यापुरी स्थित घंटेश्वर- विश्वनाथ महादेव मंदिर को खूब सजाया गया। शिवाजी महाराज ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर श्री महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

'दिल्ली मेरी दिल्ली' नामक पुस्तक के लेखक श्री महेश्वर दयाल जी ने महामहोपाध्याय पंडित श्री बांकेराय जी के हवाले से महाभारत से पहले का विवरण प्रस्तुत करते हुए घंटेश्वर महादेव जी के बारे में लिखा है- चाँदनी चौक में बल्लिमारान के सामने स्थित कटरा नील अति प्राचीन स्थान

विद्यापुरी कहलाता था। उनके पूर्वजों को दिए गए शाहजहाँ के फरमान से यह बात सिद्ध होती है। महामहोपाध्याय जी के निवास की टाईटल डीड में भी विद्यापुरी का वर्णन मिलता है। अंग्रेजों और मुगलों के समय यहाँ नील के कारखानों के खोले जाने की वजह से इस कटरे का नाम नील का कटरा पड़ा। नील के कटरे में स्थित घंटेश्वर शिव, विश्वेश्वर शिव ही माने जाते थे और यहाँ का सम्पूर्ण भू-भाग वाराणसी अथवा काशी कहलाता था|

कटरा नील के ऐतिहासिक दरवाजे से थोड़ा अंदर जाने पर बाएं हाथ को एक गली जाती है, इसी गली में मंदिर स्थित है। कटरे में चार प्रमुख मंदिर हैं, प्रथम घंटेश्वर शिव मंदिर अष्टकोण पुराऐतिहासिक शैली में बना हुआ है। इस शैली में शिव प्रतिमा को अष्टकोण की जलहरि में स्थापित किया जाता है। मूल मंदिर एक बड़ा प्रासाद के भीतर स्थित है। मंदिर में प्राचीन गणेश, गौरी, हनुमान जी की प्रतिमा है। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के उपरांत घंटी चढ़ाने की परंपरा के कारण मंदिर का नाम घंटेश्वर शिव पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। मंदिर में छोटी-बड़ी बहुत सी घंटियाँ लगी हुई हैं । दूसरा मंदिर माता लक्ष्मी, काली, सरस्वती जी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमाओं से सज्जित है। तीनों प्रतिमायें अपनी प्राचीनता से भक्तों के मन में श्रद्धा के भाव पैदा करती है। तीसरा मंदिर हिंगलाज माता का है। माता हिंगलाज खत्रियों की कुल देवी है। कटरे के निवासियों में ज्यादा खत्री हैं। चौथा मंदिर बड़ा और प्राचीन है। यह राधा-कृष्ण जी को समर्पित लाडली जी के नाम से जाना जाता है। सखी भाव की पूजा अर्चना है। राधा कृष्ण के छोटे लेकिन मन मोहक विग्रह से मंदिर भव्य लगता है।

अंग्रेज हुकूमत ने सन् 1922 में दिल्ली में धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया था। सर्वे के परिणामस्वरूप इस मंदिर के बाहर एक शिला लेख लगा हुआ है जो निम्नानुसार है :

कटरा नील ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 09 अगस्त सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन श्रीमती सुशील नयनार के निर्देशन में कटरे से शुरू हुआ था। इसमें काफी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और घायल हुए थे। इस दरवाजे का नाम इंकलाबी दरवाजा है। यह पुरातत्व विभाग, दिल्ली द्वारा संरक्षित राजपत्रित धरोहर है।

ऐतिहासिक तथ्यों की खोज गंभीर अन्वेषण का श्रमसाध्य विषय है। इस लेख में मैंने केवल दिल्ली के हृदय, चाँदनी चौक स्थित घंटेश्वर शिवालय जो कटरा नील में प्रतिष्ठित है कि विनम्र स्तुति परिचय प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है।

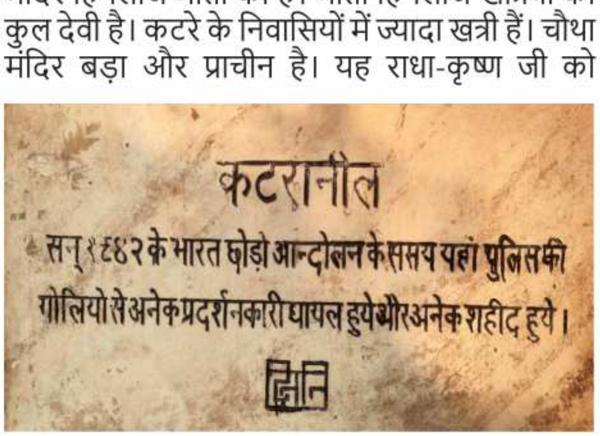

कटरानील

सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय यहां पुलिस की गोलियों से अनेक प्रदर्शनकारी घायल हुये और अनेक शहीद हुये।

महेश मालखरे,
वैज्ञानिक सहायक, साइबर विधि प्रयोगशाला,
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

भारत की प्राचीन संस्कृति और धरोहर में शास्त्रीय संगीत

भारत की प्राचीन संस्कृति और धरोहर में शास्त्रीय संगीत का विशेष स्थान है। यह केवल एक कला नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, मान्यताओं और भावनाओं का विस्तार है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अपनी गहरी जड़ों के साथ न केवल भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। इसके तार प्राचीनता से जुड़े हुए हैं और इसका उद्भव वेदों में स्थित संगीत के मंत्रों से हुआ माना जाता है। समय के साथ यह संगीत विकसित हुआ और मुग़ल काल में इसने एक नई दिशा प्राप्त की, जिसे आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में पहचानते हैं।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतिहास, विशेषतः राग, ताल और स्वर पर आधारित होने के कारण बेहद समृद्ध और विविध है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धारा का महत्वपूण हिस्सा है, जिसे समय-समय पर महान संगीतज्ञों, राजघरानों, संतों और भक्तों ने संजोया और संवारा है। यह संगीत किसी भव्यता की तरह केवल शास्त्रीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की विरासत की बात करें, तो यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, बल्कि विश्वभर में भी फैल गया है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रभाव न केवल सांस्कृतिक है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। संगीत का यह रूप न केवल आनंद और मनोरंजन के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा को शांति देने और मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए भी जाना जाता है। इसके विभिन्न स्वर और राग जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने की क्षमता रखते हैं। यह संगीत केवल एक रूप में नहीं, बल्कि इसके स्वरूपों, विधाओं और शैलियों के माध्यम से विविधता से भरपूर है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह न केवल एक संगीत प्रणाली है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन और विचारों का भी प्रतीक है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतिहास: एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत सैकड़ों साल पहले से मानी जाती है, जब संगीत और धार्मिक अनुष्ठान एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। इसका आरंभ वैदिक काल से हुआ, जब सामवेद के मंत्रों में सुर और लय का प्रयोग किया गया था। सामवेद में संगीत को धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता था और इसे एक साधना के रूप में देखा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज में संगीत और धर्म का गहरा संबंध था, जिससे यह कला रूप एक सांस्कृतिक धरा के रूप में विकसित हुआ।

वहीं, मध्यकाल में यह संगीत कला राजदरबारों में समृद्ध हुई। खासकर, मुग़ल काल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतको नई दिशा मिली। तानसेन जैसे महान संगीतज्ञों ने इस संगीत को अपनी कला की ऊंचाई तक पहुंचाया और इसे शाही संरक्षण में जगह दी। इस काल के दौरान संगीत और कला के अन्य रूपों का एक अनूठा मेल हुआ, जिसमें राग, स्वर, ताल और गायकी की शैलियों का गठन हुआ।

हिंदुस्तानी संगीत की यह यात्रा किसी स्थिरता तक सीमित नहीं रही। समय के साथ, जैसे-जैसे संगीत में परिवर्तन और समृद्धि आई, वैसे-वैसे इसके विभिन्न रूपों का विकास हुआ। हिंदुस्तानी संगीत की यह यात्रा उन महान संगीतकारों और गायक-गायिकाओं द्वारा पुख्ता हुई, जिन्होंने इसके स्वरूप को न केवल पहचाना, बल्कि उसे और उन्नत किया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषताएँ

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विशेषता यह है कि यह राग और ताल पर आधारित होता है। राग और ताल का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है। राग वह रूप है, जो एक विशेष समय और परिस्थिति के अनुरूप अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। प्रत्येक राग का एक विशिष्ट समय, मूड और उद्देश्य होता है, जो संगीत में एक विशेष भावना का संचार करता है। उदाहरण स्वरूप, राग भैरव एक गंभीर और भक्ति भावना का प्रतीक है, जबकि राग मल्हार बारिश के मौसम से जुड़ा हुआ है, जो संगीत में सौन्दर्य और रोमांस का एहसास कराता है।

ताल का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। ताल वह लय है, जो संगीत को संरचना और क्रम देती है। ताल के माध्यम से संगीत को एक दिशा मिलती है और यह संगीत को संतुलित और सुरताल में बांधता है। विभिन्न तालों जैसे तीनताल, एकताल, झपताल, आदि का उपयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इन तालों के माध्यम से संगीत में लय, गति और उत्तेजना को सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

राग और ताल: संगीत की आत्मा

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग और ताल की विशेष भूमिका है। राग एक संरचित ध्वनि प्रणाली है, जिसमें सुरों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है। राग का प्रभाव केवल संगीत पर नहीं पड़ता, बल्कि यह श्रोता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करता है। हर राग का अपना विशिष्ट समय होता है, जैसे राग भैरव सुबह के समय गाया जाता है, और राग यमन शाम के समय।

ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय को नियंत्रित करता है। यह संगीत की गति और संरचना को व्यवस्थित करता है। ताल का उचित उपयोग संगीत में नयापन और विविधता लाता है, और श्रोताओं को संगीत के साथ एक गहरी जोड़तोड़ का अनुभव कराता है।

गायन की शैलियाँ: एक गहरी धारा

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विभिन्न गायन शैलियाँ प्रचलित हैं, जिनमें हर एक शैली की अपनी विशेषता और उद्देश्य होता है। इन शैलियों के माध्यम से गायन की विविधता और संगीत की गहराई प्रकट होती है।

1. **ध्रुपद**: यह शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है, जिसमें भक्ति और एकाग्रता का भाव होता है। इसमें गायक राग को गहरे ध्यान के साथ गाता है।

2. **खयाल**: यह शैली अधिक लचीली और खुली हुई है, जिसमें गायक को अपनी आवाज और रचनात्मकता को प्रकट करने का अवसर मिलता है।

3. **ठुमरी और दादरा**: ये हल्की शैलियाँ हैं, जो मुख्य रूप से प्रेम, सौन्दर्य और भावना के बारे में होती हैं। इन शैलियों में संगीत के साथ-साथ शब्दों का प्रभाव भी होता है।

वाद्य यंत्रों का महत्व

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों की विशेष भूमिका है। ये यंत्र संगीत की धारा को और भी सजीव और प्रभावी बनाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्रों में तबला, सितार, सरोद, तानपुरा, बांसुरी, आदि शामिल हैं। इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से राग और ताल का संयोजन और बेहतर होता है। हर यंत्र की अपनी विशिष्टता होती है, जो संगीत में भिन्नता और गहराई जोड़ता है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत न केवल भारतीय कला और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में भी मौजूद है। यह संगीत अपनी गहराई, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता के कारण श्रोता को आध्यात्मिकता शांति और संतुलन प्रदान करता है। राग, ताल, वाद्य यंत्र और गायन की विविध शैलियाँ इस संगीत के विविध रूपों को दर्शाती हैं, जो समय और स्थान के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत न केवल हमारे सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह आज भी अपनी समृद्धि और आकर्षण के साथ भारतीय और वैश्विक मंच पर जीवित है। यह कला रूप हमारी परंपराओं और भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का अनमोल जरिया है, जिसे हम सदियों तक संजोते और संरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी गहराई और महत्ता का एहसास कराएंगे।

जगदीश चन्द्र यादव,
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

महात्मा गांधी एवं स्वच्छता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 02 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आस-पास की सफाई करना ही नहीं है, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक-से-अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार का नहीं है, यह काम तो देश के 140 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना है, जो भारत माता के पुत्र-पुत्रियाँ हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन में बदल देना चाहिए और लोगों को ठान लेना चाहिए कि वे न तो गंदगी करेंगें और न ही करने देंगें। महात्मा गांधी ने एक "स्वच्छ भारत" का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक मिलकर इस देश को स्वच्छ बनाने का कार्य करें। बापू का मानना था कि साफ-सफाई ईश्वर भक्ति के समान है।

महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान शुरू होना उचित ही है। गांधीजी स्वच्छता के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि स्वच्छता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। स्वच्छता उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा थी। महात्मा गांधी रोजाना सुबह चार बजे उठकर अपने आश्रम की सफाई किया करते थे। वर्धा आश्रम में उन्होंने अपना शौचालय स्वयं बनाया था और वे इसे प्रतिदिन साफ करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी से पूछा, "यदि आपको एक दिन के लिए भारत का वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगें?" गांधीजी ने कहा, "राजभवन के पास जो गंदी बस्ती है मैं उसे साफ करूंगा"। अंग्रेज ने फिर "पूछा, मान लीजिए कि आपको एक और दिन उस पद पर रहने दिया जाए, तो आप क्या करेंगें"।

गांधीजी ने कहा, "दूसरे दिन भी वही करूंगा। जब तक सभी लोग अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगें, तब तक आप अपने नगरों को साफ नहीं रख सकते"। एक स्कूल को देखने के बाद उन्होंने शिक्षकों से कहा, "आप अपने छात्रों को किताबी पढ़ाई के साथ-साथ साफ-सफाई का काम भी सिखा सकें, तो आपका विद्यालय आदर्श होगा"।

"मूत्र की दुर्गंध से सभी का जीवन दुष्कर हो रहा था। गांधीजी ने अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी ली और लग गए सफाई करने। इसका असर काफी संक्रामक हुआ और सारे छात्रों में सफाई की होड़ लग गयी। इस घटना से मैं स्तब्ध रह गया। मेरा हृदय इस महान आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर गया। मुझे इस बात की खुशी है कि सारा भारत उन्हें महात्मा (महान आत्मा) के नाम से पुकारता है। सारे विश्व में यदि कोई इस संबोधन के काबिल है, तो वे हैं"।

स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं है। हम बस अपनी सामान्य आदतों में थोड़ा सुधार कर लें, तो हर जगह सफाई दिखाई देगी। हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, कचरे का गीले-सूखे में वर्गीकरण करना चाहिए, निर्धारित स्थान पर ही कचरा फेंकना चाहिए, नालियों को श्रम-दान करके साफ रखना चाहिए। फिलहाल तो हाल यह है कि सरकारी कार्यालयों में बाबू अपनी मेज और फाइलों पर पड़ी धूल भी साफ नहीं करते। राजनेता स्वच्छता कार्यक्रम को सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित रखते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों को लोगों ने मानो खुला शौचालय बना दिया है। जब कोई सैलानी दिल्ली में प्रवेश करता है, तो उसका परिचय सबसे पहले शहर की दुर्गंध से होता है। कहने को तो गंदगी फैलाने पर जुर्माने एवं सजा का प्रावधान है,लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक सफाई में सहयोग नहीं देगा, स्वच्छ भारत संभव नहीं है। जन-जन की भागीदारी इस अभियान को सफल बनाने हेतु जरूरी है।

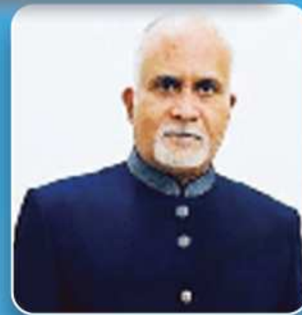

हेमंत कुमार पांडेय,
सहायक निदेशक
पटना जोनल कार्यालय

मेरा भारत

जहाँ वेद, पुराण, रामायण रचित,

जहाँ संस्कृति में है विज्ञान निहित,

जहाँ धर्म और तकनीकी परस्पर विकसित,

जहाँ मानवता सर्वोच्च रहे, वह भारत है।

जहाँ राम, कृष्ण और बुद्ध ने जन्म लिया,

जहाँ अजंता और तक्षशिला की विरासत है,

जहाँ सूर कबीर की वाणी और गंगा की धारा है,

जहाँ अनेकता में एकता है, वह भारत है।

जो विश्वगुरु, दृष्टांत श्रेष्ठ, कर्त्तव्यनिष्ठ,

जो लोकतंत्र और निष्पक्षता का परिचायक,

जो सर्वधर्म समभाव का ध्वजवाहक,

जहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, वह भारत है।

जीवन की राहें

जीवन की उलझन में, राहें खो जाती,
ख्वाबों की परछाई, धुंधली हो जाती।
हर मोड़ पर सवाल, हर कदम पर द्वंद्ध,
मन की गहराई में, छुपा है अनंत।
प्रेम की खोज में, भटके हर एक मन,
कभी आशा का दीप, कभी निराशा का पतन।
सुख-दुख की लहरें, बहा ले जातीं,
जीवन की राहें, खुद से मिलातीं।
वो राह जो प्रेम तक पहुंचाए,
वो सच्चाई जो हर भ्रम मिटाए।
समर्पण, विश्वास और सरलता के संग,
मिलेगी वो मंज़िल, जहाँ होगी उमंग।
जीवन की उलझनें, सिखाती हैं चलना,
हर हार में छुपा है, जीत का पलना।
प्रेम ही वो राह है, जो सब कुछ सुलझाए,
जीवन को अर्थ दे, हर घाव सहलाए।

आशा,
प्रवर्तन अधिकारी,
स्थापना अनुभाग, मुख्यालय

ज़िंदगी का सफर

ज़िंदगी सफ़र बड़ा, राह भी अजीब है,
हर एक मुकाम के लिए, मुश्किलें खड़ी भी हैं।
कौन सा पथ चुनूँ, या लौट जाऊँ यहाँ से,
मन के सामने विडंबना अजीब है।
फिर ख़याल आता कभी...
क्यों विराम की तलाश में, मन मचल रहा मेरा।
दूरियाँ कितनी भी हों, फासले तय कदम ही करें,
मन जो ठान ले एक बार, तो चोटियाँ भी मैदान लगें।
ज़िंदगी की राह भी होगी सजीव,
जब उसमें सपने जगें।

युद्ध और बुद्ध

विनय कु. द्विवेदी,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
प्रयागराज उप आंचलिक कार्यालय

जो है हारा हुआ स्वयं से
वही युध्द का कारक होगा
जिसने जीत लिया हो ज़िद को
सहज प्रेम पथ धारक होगा

हार गए वो सभी सिकन्दर
जिसने विजय कथायें चाहीं
जीत वही पहचान सका है
जिसके हृदय व्यथाएं आयीं
जो अशोक यह समझ सकेगा
वही बुद्ध-पथ मानक होगा
जो है हारा हुआ स्वयं से
वही युध्द का कारक होगा

क्रोध-लोभ-मद जीत सके ना
इच्छाओं से हार गए हो
प्रेम तत्व से रहे अभागे
कुंठाओं से हार गए हो
जिसे मृत्यु का भय प्रतिपल हो
वही मनुज-संहारक होगा
जो है हारा हुआ स्वयं से

वही युध्द का कारक होगा

युद्ध वरण अंतिम विकल्प है
बार-बार केशव समझाएं
किंतु कौरवों की मति मारी
नारायण ही बांधन आये
"गीता" में मोहन कहते हैं
मार्ग कौन सा तारक होगा
जो है हारा हुआ स्वयं से

वही युध्द का कारक होगा।

कविताएं

कविताएं जो वात्सल्य में गाई जाती हैं
बनती हैं आशीर्वाद,
कविताएं जो समाज-उत्थानाय लिखी गईं,
बनती हैं सेवा,
कविताएं अगर लेतीं हैं क्रान्ति के स्वर
तो बनतीं हैं अमर-ज्योति,
कविताएं जो भावना प्रधान होती हैं
उनसे बनती है ऋतुएँ,
प्रेम में पढ़ी गई कविताओं से बनते हैं
सावन के बादल,
कवितायें यदि अश्रुपूरित हों तो
तो बन जाती हैं मंत्र,
और,
कविताएं जब पूजी जाती हैं
तो बन जाती हैं ईश्वर!

ईश्वर से एक प्रार्थना

विकाश,
प्रवर्तन अधिकारी,
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

हे ईश्वर बचा समाज को इन समाज के पहरेदारों से।

ये तेरी मूर्त लगाने को तेरी रचना इंसान की बलि देने चले हैं।

ये इंसान से इंसान को बांटकर, राष्ट्र को जोड़ने चले हैं,

ये घृणा और क्रोध की अग्नि से प्रेम को जगाने चले हैं,

हे ईश्वर बचा धर्म को, इन धर्म के ठेकेदारों से।

धर्म को बचाने ये अधर्म का सहारा लेने चले हैं,

अहिंसा को लाने ये हिंसा का सहारा लेने चले हैं,

मानवता को बचाने को ये मानव को मिटाने चले हैं,

हे ईश्वर! बता समाज को इंसान बड़ा या धर्म;

हे ईश्वर! बता समाज को कि धर्म एक है केवल इंसानियत का,

क्योंकि केवल इंसानियत के धर्म को छोड़कर, ये सभी धर्मों को बचाने चले हैं।

अनीता,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
प्रवर्तन निदेशालय (मु.)

खामोश सदाएं

जो खामोश रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं,
चौंक पड़ती है दुनिया वो अगर बोलते हैं,
कभी यहाँ बस्ती थी, मकां थे, ज़िन्दगी थी,
ये टूटी हुई दीवारें और खण्डहर बोलते हैं,
सोचता हूँ बाहर तूफ़ान का आलम है,
पीपल के पत्ते इस कदर बोलते हैं,
डर जाता हूँ अचानक जब नींद टूटती है,
उल्लू मेरी छत पे रात भर बोलते हैं,
दुनिया में दर्द के सिवा कुछ और नहीं है,
टूटे हुए दिल ये चिल्लाकर बोलते हैं,
हर मकां के नीचे दफ़न है, मलबा एक मकां का,
खुदाई से निकलते हुए पत्थर बोलते हैं,
सुन सकता है तो सुन ले इनके दिल की सदा,
ये बेजुबां हैं, खामोश हैं मगर बोलते हैं,
राहगीरों को मिलेगी मंज़िल एक दिन,
ये रास्ते शामों सहर बोलते हैं,
दुनिया में खुशहाली फिर लौट सकती है,
तबाही के बाद बनते हुए ये घर बोलते हैं।

आकाश कुमार साह
आशुलिपिक, प्रवर्तन निदेशालय
पटना जोनल कार्यालय

ओ नन्हीं सी चिड़िया!

ओ नन्हीं सी चिड़िया!
तुम इतनी सी होकर भी कितनी बड़ी हो जाती हो।
जब चाहती हो चहचहाती हो,
जब चाहती हो उड़ जाती हो,
और छू कर आती हो आकाश अपनी क्षमता भर,
गाती हो गुनगुनाती हो मुक्त कंठ से खिलखिलाती हो,
कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला, कोई नहीं है तुम्हें टोकने वाला,
नहीं है तुम पर कोई बंधन परंपराओं वाला,
अपने जीवन पर पूर्णतः है अधिकार तुम्हारा,
ओ नन्हीं सी चिड़िया!
तुम इतनी सी होकर भी कितनी बड़ी हो जाती हो।

सपनों की ऊँचाई

पुलकित गोदारा,
प्रवर श्रेणी लिपिक,
दिल्ली जोनल कार्यालय-2, नई दिल्ली।

सपनों के परिंदे, उड़ते हैं आसमान में,
मन के आंगन में, चाँदनी रात में।
चमकते तारे जैसे, उम्मीदों की बात में,
हर सुबह की पहली किरण, नई शुरुआत में।

राह कठिन हो चाहे, कदम कभी न रुकें,
चोटें सहे हजार, फिर भी आगे बढ़ें।
बदले हालात, लेकिन इरादे न टूटें,
हर मुश्किल में मिले राह, जहां सपने झुकें।

दिल की धड़कन में, एक गीत सा बजे,
सपनों की ऊँचाई, जहां आसमान सजे।
हर संघर्ष में, छिपा है एक उजाला,
सपनों के दीप जलें, रोशन हर मशाला।

उठो, चलो, बढ़ो, सपनों को पकड़ो,
मन की ताकत से, हर अंधेरा उजाड़ो।
सपनों की ऊँचाई, छूना तुम्हारा हक है,
मेहनत के फल का स्वाद जीवन में अमृत-सा बेशक है।

धोनी (कैप्टन कूल) अजर-अमर है।

अनुराग मिश्रा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
पटना जोनल कार्यालय|

बात है 2005 की। मैं कक्षा चार में था। गाँव में रहता था। क्रिकेट का नया-नया शौक चढ़ा था। गाँव में लाइट नहीं थी, रेडियो पर कॉमेंट्री सुना करता था। कभी-कभी बस स्टॉप पर टीवी देखने को मिल जाती थी। स्कूल-बस गाँव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर लेने आती थी। वहां कई दुकानें थीं। बच्चा होने का फायदा उठाकर किसी दुकान में टीवी देखने घुस जाता था। क्रिकेट का इस कदर जुनून था, गर पता चल जाए, टेस्ट मैच चल रहा है तो बस स्टॉप पर रोज आधे घंटे पहले पहुँच जाता था। मैच नहीं देखा तो क्या हुआ, हर दिन की हाइलाइट ही सही।

ठीक से याद नहीं, शायद एग्जाम चल रहे थे। इसलिए उस दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई थी। बस से उतरा, दुकान पर भीड़ लगी थी। पता चला, आज भारत-पाक का मैच है, और कोइ धोनी है, बहुत मार रहा है। छक्के तो कमाल के मारता है। फिर बच्चा होने का फायदा उठाया, भीड़ में घुसकर सबसे आगे पहुँच गया। देखा क्या, धोनी का शतक पूरा हो गया था, वो 148 रन पर खेल रहा था। जैसे मैं पँहुचा, धोनी कैच-आउट हो गए। उस दिन बहुत दुख हुआ था। सोच रहा था शायद मैं न गया होता तो धोनी आउट न होता। एक बच्चा जिसने पहली बार धोनी को सिर्फ आउट होते देखा था उसके खेल से प्रेम कर बैठा।

साल 2007, सब खुश थे, मैं निराश था क्योंकि इस बार भी वर्ल्डकप टीवी पर देखने को नहीं मिला था। अब बस से नहीं, वैन से स्कूल जाता था, वो भी ऐसी वैन जो घर के बाहर ही खड़ी होती थी और सुबह उसी में बैठकर स्कूल जाना होता था, तो टीवी देखने का सवाल ही नहीं उठता।

स्कूल में पता चला कि भारत टी-20 वर्ल्डकप जीत गया। मैं खुशी से उछल पड़ा। उछलने से मेरे पैर में चोट आई। मजाल है, घर में किसी को पता चले।धोनी उस समय हमारे देश के हीरो थे। आखिर धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को टी-20 वर्ल्डकप दिलाया था।

2011 विश्वकप, भारत की जीत और कप्तान कौन! एक बार फिर अपना धोनी। सौभाग्य से इस बार टीवी देख रहा था और धोनी का वो विनिंग शॉट देखकर आँखों में आँसू आ गए थे। अब भी जब वो शॉट देखता हूँ, अनायास ही आँसू आ जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, सचिन की स्ट्रेट ड्राइव, द्रविड की कवर ड्राइव, पर मुझे तो सबसे खूबसूरत धोनी का वो वर्ल्डकप लिफ्टिंग शॉट ही लगता है।

2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी, एक और आईसीसी ट्रॉफी भारत की झोली में और कप्तान कौन! वही अपना माही बॉस।

संयोग से चैंपियन टॉफी के फाइनल में मैं गाँव में ही था और अब गाँव में लाइट भी आ गई थी। हम तीन क्रिकेट प्रेमी एक साथ फाइनल देख रहे थे। मैं और मेरे दो कजन भाई, मैं तो थक-हारकर सो गया, अब क्या इंडिया जीतेगा! लेकिन वो दो डटे रहे और हारा हुआ मैच इंडिया जीत गई। ईशान्त ने मैच पलट दिया और उसे बॉलिंग किसने थमाई अपने कैप्टन कूल ने।

तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला इकलौता कप्तान, एक बड़ा सा शून्य छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हमेशा के लिए विदा ले चुका है। कोई उस शून्य को नहीं भर सकता। कोई, मतलब कोई नहीं। धोनी तो धोनी है उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बात अच्छे-बुरे की नहीं है। बात है इतने सारे खुशी के पल देने की। धोनी होना आसान नहीं। धोनी कोई खिलाड़ी नहीं है, खेल की आत्मा है। और आत्मा को कौन रिप्लेस कर सकेगा? वो तो अजर-अमर है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका

चन्द्र प्रकाश मिश्र
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा न केवल शौर्य, बुद्धिमत्ता, वीरता, सहनशीलता, व अथक उत्साह की गाथा है, अपितु यह भारत की विभिन्न भाषाओं के सार्थक समर्पण की भी गाथा है। जहां दक्षिण भारत के जनसमुदाय के भीतर स्वाधीनता के बीज बोने में तमिल, तेलगू, कन्नड व मलयालम जैसी महान भाषाओं का योगदान था, वहीं पश्चिम भारत के वीरों के भीतर राजस्थानी, गुजराती, मराठी जैसी उत्कृष्ट भाषाओं ने स्वाधीनता संग्राम के बीज अंकुरित करने में महती भूमिका निभाई। पूर्वी भारत की रसमयी भाषा बांग्ला, मगही, भोजपुरी तथा मैथिली ने जहां एक तरफ क्रांति का बिगुल फूंकने का काम किया तो वहीं उत्तर भारत की हरियाणवी तथा पंजाबी जैसी कर्णप्रिय भाषाओं ने जनसमुदाय को राष्ट्रोत्थान हेतु उद्विग्न कर दिया। परंतु, 1857 जैसी महान क्रांति की विफलता ने भारत के हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, और वह घाव था-एकीकरण का अभाव। इस क्रांति में शौर्य, उत्साह, समर्पण सब कुछ अपनी पराकाष्ठा पर थे, किन्तु भाषायी सीमाओं में बंधे केवल कुछ ही समुदाय की भागीदारी के कारण उनके अप्रतिम प्रयास पर पानी फिर गया।

जब भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में केवल एक ही बाधा थी– भाषाई तौर पर विभक्त भारत ! ऐसे में भारत का, भारत के जनसमुदाय का, भारत की भावना का एकीकरण की भूमिका निभाने के लिए अवतरित होनेवाली भाषा का नाम है– हिंदी। यह उद्धरणीय है कि सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोये बिना भारत की स्वाधीनता का स्वप्न वास्तविकता की चोली नहीं धारण कर सकता था। अतः, ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाओं के पुष्प-गुच्छ को हिंदी के सूत्र में गूँथ कर सम्पूर्ण भारत का एक सुंदर हार बनाया गया, जिसने भारत के जनसमुदाय को एकत्रित करते हेतु स्वाधीनता संग्राम के विजय-नाद का पांचजन्य बजाया।

स्वाधीनता संग्राम में हिंदी न केवल संचार का एक साधन बनी, बल्कि भारत में एकता की शक्ति को आहूत करने वाली यज्ञाग्नि बनी। यह जनमत को संगठित करने और भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी।भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उथल-पुथल भरे दौर में, हिंदी ने राजनीतिक लामबंदी में एक शक्तिशाली साधन बनकर लाखों लोगों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। रोज़मर्रा की बातचीत की भाषा होने के अलावा, हिंदी नेताओं, बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों द्वारा जनभावनाओं को जगाने, जनआंदोलनों को संगठित करने और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शक्तिशाली स्रोत बनी।

हवा में 'वंदे मातरम्' के गूंजते जोशीले नारे, गांधी,नेहरू, बोस और पटेल जैसे नेताओं के हिंदी में किए गए उद्भट भाषणों ने लाखों लोगों को औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ़ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में प्रतिरोध और आशा की ज्वाला प्रज्वलित हुई। 1920 के दशक में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान, हिंदी ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी में आहूत गांधीजी का 'स्वराज' आह्वान जन-जन की आत्मा तक गहराई से पैठ गया, जिसने राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव-गान के दीप प्रज्वलित करने में महती भूमिका निभाई।

गांधी जी की 'यंग इंडिया' अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनका संदेश भाषाई बाधाओं के पार व्यापक श्रोताओं तक पहुंचे। बोस के आज़ाद हिंद रेडियो ने सैनिकों और नागरिकों दोनों को हिंदी में संदेश प्रसारित

किए, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए निष्ठा और साहस की प्रेरणा मिली। भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना ने 'इंकलाब जिंदाबाद' जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से हिंदी में अभिव्यक्ति पाई, जो विदेशी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित भारतीयों की एक पीढ़ी के लिए रैली का नारा बन गया | काव्य और साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहमति और प्रतिरोध व्यक्त करने का एक माध्यम थी।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उथल- पुथल भरी पृष्ठभूमि के बीच, हिंदी न केवल संचार की भाषा के रूप में उभरी, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की उत्प्रेरक भी बनी। इसने भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया, इसकी कविता और साहित्य ने एक उत्कट राष्ट्रवादी भावना को प्रज्वलित किया, और औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त होने की चाहत रखने वाले राष्ट्र की आकांक्षाओं और पहचान को व्यक्त करने का माध्यम बन गई। एक तरफ मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रतिध्वनित करने वाली कविताएँ लिखीं। उनकी कविता 'भारत-भारती' ने न केवल भारत के अतीत की महानता का जश्न मनाया, बल्कि एक पीढ़ी को विदेशी शासन से मुक्त भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी तरफ हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने साहस और बलिदान के विषयों से अपनी रचनाओं को ओतप्रोत किया, जो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ था। कर्ण की वीरता को परिलक्षित करता उनका महाकाव्य 'रश्मिरथी' अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने वाले भारतीयों की अदम्य भावना का प्रतीक बन गया है।

हिंदी साहित्य ने उस समय के बौद्धिक विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों और विचारकों ने सामाजिक असमानताओं की आलोचना करने और सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिए हिंदी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी कहानियों में "गोदान" और "निर्मला" जैसी कहानियों ने हाशिए पर पड़े लोगों की दुर्दशा को उजागर किया और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे पाठकों को एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करने की प्रेरणा मिली। ज्ञानोदय में हिंदी की भूमिका औपचारिक शिक्षा और पत्रकारिता से आगे बढ़कर भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रचार-प्रसार तक पहुँच गई। श्रीमद्भगवद्गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के हिंदी में किए गए अनुवाद और प्रसार, औपनिवेशिक शासन की उथल-पुथल के बीच आध्यात्मिक सांत्वना और नैतिक स्पष्टता की तलाश करने वाले व्यक्तियों को नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करने के साधन बने।

संगीत और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में हिंदी ने रचनात्मकता और सर्जनात्मकता की सार्थक शक्ति का बोध कराया। भगत सिंह के विद्रोह को 'सरफ़रोशी की तमन्ना' और 'मेरा रंग दे बसंती चोला' जैसे क्रांतिकारी गीतों ने प्रतिध्वनित किया। हिंदी में रचित ये गीत प्रतिरोध के गान बन गए, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और दृढ़ संकल्प की भावना को मूर्त रूप दे रहे थे। हिंदी सिनेमा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शक्तिशाली सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा। हिंदी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि युवाओं को शिक्षित और प्रेरित भी किया, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नायकों को चित्रित किया, जिससे लोगों में उनके प्रति गौरव की भावना पैदा हुई।

शिक्षा और बौद्धिक विमर्श में, हिंदी ने स्वदेशी ज्ञान और मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उभरी, जिसका उद्देश्य शिक्षा व ज्ञान तक लोगों की पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना और जनता को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देकर सशक्त बनाना था। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और छात्रों के बीच सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करने का प्रयास किया, जिससे राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध विचारकों और नेताओं की एक पीढ़ी का पोषण हुआ।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, हिंदी भाषा ने लैंगिक समानता, दलितों के उत्थान और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने प्रगतिशील और समावेशी समाज के अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करने के लिए हिंदी का भरपूर प्रयोग किया, ताकि उनकी सोच जन-जन तक पहुंचे तथा प्रत्येक व्यक्ति को

उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और राष्ट्र के कल्याण में योगदान देने के अनंत अवसर मिलें।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांस्कृतिक पुनरुत्थान में हिंदी की भूमिका साहित्य और कला तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि स्वदेशी परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन तक फैली हुई थी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, मनाए जाने वाले अनुष्ठान और रीति-रिवाज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भंडार के रूप में काम करते थे, जिससे लोगों में एकजुटता और अपनेपन की भावना का संचार होता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की यात्रा समाज पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की विशेषता थी। इसने व्यक्तियों को ज्ञान से सशक्त बनाया, आलोचनात्मक सोच को प्रेरित किया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में निहित राष्ट्रीय पहचान की भावना को पोषित किया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, हिंदी पत्रकारिता एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और जनता के लिए आशा, एकता और प्रतिरोध की किरण के रूप में काम किया। हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से, पत्रकारों और संपादकों ने जनमत को प्रेरित किया, अन्याय को उजागर किया और बौद्धिक विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को आकार दिया। दूरदर्शी नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित "प्रताप" और "बंदे मातरम" जैसे हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रवादी आदर्शों की वकालत करने, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करने और स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने के लिए मंच बन गए।

हिंदी पत्रकारिता ने सूचना को लोकतांत्रिक बनाने और ज्ञान के साथ जनता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार-पत्र शहरों, कस्बों और गांवों में व्यापक रूप से प्रसारित होते थे, यहाँ तक कि देश के सुदूर कोनों तक भी पहुँचते थे। वे ज्ञान के साधन के रूप में काम करते थे, पाठकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करते थे, भारतीय संस्कृति और विरासत में गर्व की भावना पैदा करते थे, और विविध भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ जनता की आवाज़ बनकर उभरीं, जिन्होंने औपनिवेशिक नीतियों को साहसपूर्वक चुनौती दी और सामाजिक सुधार की वकालत की।

पत्रकार और संपादक स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति-ध्वज के रूप में उभरे, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सेंसरशिप, कारावास और उत्पीड़न का जोखिम उठाया। "प्रताप" के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को निडरता से उजागर किया, जिससे जन व्यापी आक्रोश पैदा हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की अत्यंत निंदा हुई। पत्रकारिता की ईमानदारी और सच बोलने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पत्रकारिता के साहस का प्रतीक बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के दौरान जनमत को आकार देने में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदी अखबारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा और असहयोग के लिए समर्थन जुटाया। लेखों और संपादकीयों ने भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने, औपनिवेशिक कानूनों की सविनय अवज्ञा करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का आग्रह किया।

तत्सामयिक प्रमुख विचारकों और सुधारकों के बीच बौद्धिक बहस और चर्चा के मंच के रूप में हिंदी प्रेस का उदय हुआ। इसने स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान की, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध, मार्च और अभियानों के लिए समन्वय और रणनीति बनाने में मदद मिली। समाचार पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण के भंडार बन गए, जो स्वतंत्रता के मार्ग पर एक राष्ट्र के संघर्षों और विजयों के गुणगान करते फुले नहीं समाते हैं।

निष्कर्षतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका बहुआयामी और व्यापक थी। इसने राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक, राजनीतिक लामबंदी के माध्यम, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की उत्प्रेरक और शिक्षा और ज्ञान के लिए एक महनीय उपकरण के रूप में कार्य किया। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य ने जनमत को आकार देने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरदर्शी नेताओं और समर्पित देशभक्तों के प्रयासों से हिंदी न केवल एक भाषा के रूप में उभरी, बल्कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली ताकत बन गई। इसकी विरासत स्वतंत्र भारत में गुंजायमान है, जो हमें स्वतंत्रता और उससे आगे की राष्ट्र की यात्रा में इसके स्थायी महत्व की याद दिलाती है। हिंदी भाषा भारत की विविधता में एकता का सार है। कश्मीर की वादियों से कन्याकुमारी के तटों तक, गुजरात के रण से अरुणाचल के अंतर्मन तक, देश के हर कोने में हिंदी की मौजूदगी महसूस की जाती है। हिंदी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर राष्ट्रोत्थान तक हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। अमृतकाल में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में भी हिंदी की उदारता और सौहार्द का भरसक इस्तेमाल किया जाना अपेक्षित है।

आजादी की भाषा है हिंदी !

हर्ष कुमार मीना
आशुलिपिक-2
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

प्रस्तावना: हमारे देश में 14 सितंबर के दिन को 'हिन्दी दिवस' के रुप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते है कि आज हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं राजभाषा भी है। हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा की हैसियत से लेकर राष्ट्रभाषा के रुप में लोकप्रिय और सर्वमान्य बनने में और फिर भारत की राजभाषा बनने में कई शताब्दियां लगी हैं। राजभाषा के रूप में हिन्दी को जो मान्यता दी गयी उसमें स्वतंत्रता-संग्राम के हमारे राजनेताओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिन्दी के विकास के लिए उन चिन्तकों, मनीषियों और नेताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया है जो अधिकतर हिन्दीतर प्रदेश के थे। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में ही उदित हुआ और प्रारम्भ से अन्त तक इसे वहां के नेताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय आपसी समन्वय के लिए एक भाषा का स्थापित करना आवश्यक हो गया था। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी भाषा प्राय: सर्वत्र प्रचलित है। इस हिन्दी भाषा को यदि भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाया जाए तो आपसी एकता संभव हो सकती है। इनके अलावा अन्य अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने प्रान्तीयता की भावना से ऊपर उठकर खुले दिल हिन्दी का समर्थन किया।

स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रयास:

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा" का नारा देने वाले नेता बाल गंगाधर तिलक का स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। साथ ही तिलक ने अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में भाषण देने की परम्परा आरंभ कर अन्य नेताओं के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया।

महात्मा गांधी भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्नों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभिन्न राज्यों में हिन्दी-प्रचार करने के लिए नेताओं को जहाँ प्रेरित किया वहीं लोगों के अलग-अलग दलों को राज्यों में भेजा।

हिन्दी भाषा के लिए महात्मा गांधीजी ने यह लिखा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

'पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपतराय एक महान देशभक्त शिक्षाशास्त्री ही नहीं, एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। पंजाब में हिन्दी के प्रचार का पूरा श्रेय लालाजी को जाता है। जब उर्दू हिन्दी का विवाद जोरों से चल रहा था, तब लालाजी ने हिन्दी का बड़ा समर्थन किया और उन्हीं के प्रयत्न से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी को स्थान मिला।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पुरूष के रूप में विख्यात पंडित मदनमोहन मालवीय जी का नाम हिंदी प्रचारकों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हिन्दी के व्यवहार को लाने के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने कहा था कि हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

राष्ट्रीय नेताओं में देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी की हिन्दी सेवा से कौन परिचित नहीं है. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रुप में हिन्दी को उचित स्थान दिलाने का श्रेय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को ही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद से उन्होंने जो हिन्दी की सेवा की उसका विशेष महत्व है. उनके कार्यकाल में सरकारी स्तर पर हिन्दी को मान्यता मिली। संविधान सभा में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने हिन्दी के समर्थन में कहा था कि हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

उपसंहार: यहां हमने हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं उसे राजभाषा की मंजिल तक पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के योगदान का अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं के नाम गिनाये जा सकते हैं, जिन्होंने हिन्दी का प्रबल समर्थन किया और हिन्दी को विकसित करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

आत्म निर्भर भारत में हिंदी की भूमिका

विदुर कुमार,
प्रवर श्रेणी लिपिक,
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

> "हिंदी न सिर्फ स्वालंबन एवं स्वाभिमान का मस्तक है बल्कि यह आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है।"

<u>हिंदी है आत्मनिर्भर भारत का सशक्त आधार:</u> राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस महोत्सव को मनाते हुए हमें राष्ट्रीय प्रतिकों एवं प्रसंगों को मजबूती देने की जरूरत है। जिनमें राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि स्वाभिमान के प्रतीकों को प्रतिष्ठित किए जाने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय अस्मिता एवं अस्तित्व की प्रतीक एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एकसूत्र में पिरोने वाली हिंदी की उपेक्षा पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हिन्दी न सिर्फ स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान का मस्तक है बल्कि यह आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है। हिंदी दिवस मनाते हुए हमें हिंदी की ताकत को समझना होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में हिंदी की प्रासंगिकता एवं महती भूमिका के सच को स्वीकारना होगा। हिंदी का देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने एवं आजादी दिलाने मे बड़ा योगदान रहा है।

- हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है।
- वर्तमान में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। दुनिया के करीब 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है।

सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेटे हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है। हिंदी राष्ट्रीयता की प्रतीक भाषा है, उसको राजभाषा बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित करने के नाम पर भारत में उदासीनता एवं उपेक्षा की स्थितियां परेशान करने वाली है, विडम्बनापूर्ण है। विश्वस्तर पर प्रतिष्ठा पा रही हिंदी को देश में दबाने की नहीं, ऊपर उठाने की आवश्यकता है। आज भी देश में हिंदी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए।

देश-विदेश में इसे जानने-समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरनेट ने हिंदी को वैश्विक धाक जमाने में नया आसमान मुहैया कराया है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है और पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मंडारिन है, जिसे 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे स्थान पर हिंदी है। चौथे स्थान पर 534 करोड़ लोगों द्वारा बोले

जाने वाली स्पेनिस और पांचवे नबर पर 28 करोड़ लोगों के साथ फ्रेंच भाषा है।

- "हिंदी भाषा वह नदी है जो साहित्य, संस्कृति और समाज को एक साथ बहा ले जाती है"।
- "भाषा ही हमारी पहचान है, हिंदी हमारी अद्भुत पहचान है"।
- "हिंदी भाषा का महत्व उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता में है।

दुनिया में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता एवं विश्व की बहुसंख्य आबादी द्वारा इसे अपनाए जाने की स्थितियां, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। देश की आजादी के पश्चात् 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रभाषा हिंदी सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है।

उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक राष्ट्र भाषा हिंदी को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए।

- "हिंदी भाषा को बचाने और बढ़ावा देने का कार्य हम सभी का दायित्व है"।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदी को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में बल्कि हमेशा हमें इसका प्रयास लगातार करते रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में कामकाज एवं लोकव्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलनी है, इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

लेकिन उनमें तीव्र गति दिए जाने की अपेक्षा है।इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अंतर्वेदना को समझना होगा। जिसमें उन्होंने कहा था की भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिन्दी को लागू करने में एक दिन का विलंब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस तरह हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया उसी तरह सांस्कृतिक रूपी लुटेरी अंग्रेजी को भी तत्काल निर्वासित करें। आजाद भारत के पचहत्तर वर्षों में भी हम हिंदी को गरिमापूर्ण स्थान न दिला सके, यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी राष्ट्रीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है।

निष्कर्ष:-

वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा में आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प है। आत्म निर्भर के लिए जरूरी है कि अपने स्त्रोतों और संसाधनों के उपयोग को पर्याप्त बनाया जाए ताकि कभी दूसरों का मुंह न देखना पड़े। कभी इस तरह की बातें गुलाम देश को अंग्रेजी साम्राज्य की कैद से स्वतंत्र कराने और स्वराज्य स्थापित करने के प्रसंग में की जाती थी।

शरीर तो भारत का रह गया पर मन और बुद्धि अंग्रेजीमय या अंग्रेजीभक्त हो गया। भवसागर से मोक्ष के लिए हमने अंग्रेजी की नौका को स्वीकार किया और उसे शिक्षा तथा आजीविका का स्त्रोत बना दिया।

वर्तमान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की अवधारणा को विमर्श के केंद्र में लाकर सामर्थ्य के बारे में हमारी सोच को आंदोलित किया है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने पर विचार किया गया है। शिक्षा स्वाभाविक रूप से संचालित हो इसके लिए मातृभाषा में अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। इसलिए बहुभाषिता के आलोक में मातृभाषा का आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना आवश्यक है। अमृत महोत्सव के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए आह्वान किया है और इसके लिए मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है।

"हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराना है,
जोर-शोर से हिंदीभाषा का डंका बजाना है।
हिंदी के बल पर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाना है"।

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) हिंदी पखवाड़ा 2024 में आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम

प्रतियोगिता का नाम	विजेता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री), पदनाम			
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (हिन्दी एवं हिंदीतर भाषी)	(हिन्दी भाषी) महर्षि प्रताप सिंह, आशुलिपिक-2 (हिंदीतर भाषी) सौभिक दत्ता, सहा. प्र. अधिकारी	(हिन्दी भाषी) * अन्नू मित्तल,स. प्र.अ. * मुकेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक (हिंदीतर भाषी) पापिया राय, सहायक	(हिन्दी भाषी) सौरभ मीना, सहा. प्र. अधिकारी	1. विदुर कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक 2. संदीप कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक 3. राजेश, प्रवर श्रेणी लिपिक 4. अंजू, अवर श्रेणी लिपिक 5. विजय पंत, सिपाही 6. हरिज्ञान सिंह, सिपाही 7. मेहरबान नेगी, प्रवर श्रेणी लिपिक 8. शुभम यादव, आशुलिपिक-2 9. संजीत राठी, अवर श्रेणी लिपिक
हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता (हिन्दी एवं हिंदीतर भाषी)	(हिन्दी भाषी) * हरेन्द्र तोमर, प्रवर श्रेणी लिपिक *अमित कुमार सैनी,स. प्र. अ. (हिंदीतर भाषी) सौभिक दत्ता,स. प्र.अ.	(हिन्दी भाषी) *तरुण कौशिक, अवर श्रेणी लिपिक *ज्ञान सिंह नेगी, सहायक (हिंदीतर भाषी) पापिया राय, सहायक	(हिन्दी भाषी) *विदुर, प्रवर श्रेणी लिपिक *दिनेश पांडे, एमटीएस	1. अनीता, स. प्र.अ.

हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता (हिन्दी एवं हिंदीतर भाषी)	(हिन्दी भाषी) राजकुमार गौड़, अवर श्रेणी लिपिक (हिंदीतर भाषी) पापिया राय, सहायक	(हिन्दी भाषी) शिवम सचान, आशुलिपिक-2	(हिन्दी भाषी) *हरेन्द्र तोमर, प्रवर श्रेणी लिपिक *अमित कुमार सैनी, स. प्र.अ.	1. अंकित कुमार, सहायक 2. लक्की सिंह, स. प्र.अ. 3. विदुर कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक 4. प्रीति थापा, आशुलिपिक-2 5. सुजीत कुमार, आशुलिपिक-2
हिन्दी टंकण प्रतियोगिता	शिवम सचान, आशुलिपिक-2	हरेन्द्र तोमर, प्रवर श्रेणी लिपिक	अमित कुमार सैनी, स. प्र.अ.	1. संदीप,प्रवर श्रेणी लिपिक 2. सारिका, प्रवर्तन अधिकारी 3. विजय, प्रवर श्रेणी लिपिक
हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल एमटीएस,सिपाही एवं ड्राइवर के लिए)	प्रज्ञा प्रांजल, एमटीएस	सविता, एमटीएस	विजय पाल, वरिष्ठ सिपाही	1. जी. बन्नी बाबू ,वरिष्ठ सिपाही 2. खड़क सिंह, सिपाही
हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	शिवम सचान, आशुलिपिक-2	अनीता, स. प्र.अ.	-	
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (केवल एमटीएस,सिपाही एवं ड्राइवर के लिए)	वैभव कुमार मिश्रा, एमटीएस	किशन लाल,सिपाही	मानवी सोम, एमटीएस	
हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम	**प्रथम : टीम-डी**	**द्वितीय: टीम-बी**	**तृतीय: टीम– सी**	
	सौरभ मीना, स. प्र.अ.	उमेश कुमार मीना,प्रवर्तन अधिकारी	वी. साई धीरज, स. प्र.अ.	
	मुकेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	संदीप कुमार,प्रवर श्रेणी लिपिक	पापिया राय,सहायक	
	सुशील, प्रवर श्रेणी लिपिक	तरुण कौशिक, अवर श्रेणी लिपिक	राजेश, प्रवर श्रेणी लिपिक	
	वैभव कुमार मिश्रा, एमटीएस	संजय खत्री,अवर श्रेणी लिपिक	संजीत राठी, अवर श्रेणी लिपिक	
	किशन लाल, सिपाही	सविता, एमटीएस	दिनेश पांडेय,एमटीएस	

प्रवर्तन निदेशालय, हिंदी पखवाड़ा - 2024
निदेशालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम

प्रतियोगिता का नाम	विजेता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री), पदनाम, कार्यालय का नाम, अभ्युक्ति			
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)	* रूपम,विधिक परामर्शदाता, कोलकाता जोन 1 *महर्षि प्रताप सिंह, आशुलिपिक-2,मुख्यालय	*अन्नू मितल, स. प्र. अधिकारी, मुख्यालय *मुकेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक,मुख्यालय	*दीपिका त्रिपाठी, प्रवर्तन अधिकारी, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय *शिवम सचान,आशुलिपिक-2, मुख्यालय	1. कौशल, आशुलिपिक-2,हैदराबा जोन 2. पंकज सिंह, आशुलिपिक-1 उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय 3. गीता बजाज,विधिक परामर्शदात मध्य क्षेत्रीय कार्यालय
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (हिन्दीतर भाषी)	नारायण छेत्री,सिपाही, गंगटोक सब-जोन	एम राजेश, वरिष्ठ सिपाही, हैदराबाद जोन	सौभिक दत्ता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय	लीना के., प्रवर श्रेणी लिपिक, कोचीन जोनल
हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)	वेद प्रकाश, प्रवर्तन अधिकारी, कोलकाता जोन-1	रूपम, विधिक परामर्शदाता, कोलकाता जोन-1	*हेमंत पांडे,प्रवर्तन अधिकारी, कोझिकोड सब-जोन *मुकुल यादव,आशुलिपिक-2, जयपुर जोन	
हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता (हिन्दीतर भाषी)	नारायण छेत्री, सिपाही, गंगटोक सब-जोन कार्यालय	*सौभिक दत्ता, सहा. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय *सोहम घोष, प्रवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता जोन-1	*पापिया राय, सहायक, मुख्यालय *राहुल के., आशुलिपिक-2, चेन्नई जोन-1	
कंठस्थ अनुवाद प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)	सागर चौहान, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, चेन्नई जोन-1	राजकुमार गौड़, अवर श्रेणी लिपिक, मुख्यालय	अनीता, सहा. प्र. अधिकारी	1. अन्नू मित्तल, सहायक प्रवर्तनअधिकारी, मुख्यालय मोहम्मद हारून,आशुलिपिक-2 दिल्ली जोन-1 2. धीरज कुमार साह,निजी सचिव, दिल्ली जोन-1

रूपम
विधिक परामर्शदाता
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

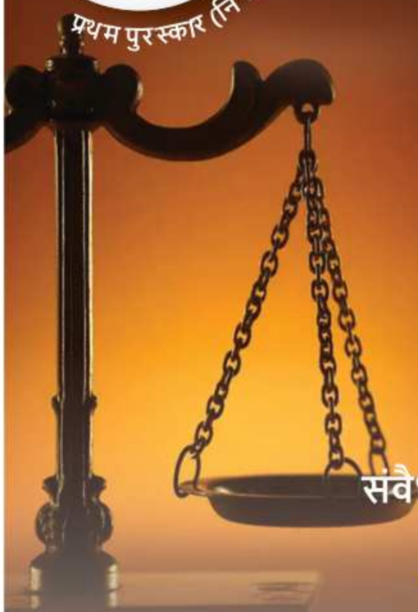

समान नागरिक संहिता

संवैधानिक विधिक एवं व्यावहारिक संदर्भ ।

बोल, कि लब आजाद हैं तेरे
बोल जबाँ अब तक तेरी है।

मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज ने औरतों को समाज की नाइंसाफी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए यह नज्म लिखी थी। पर यह नज्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक और नई है। एक समाज के तौर पर भारत ने कहीं न कहीं भारतीय नारियों को निराश किया है। तभी तो "तीन तलाक" जैसी कुरीति को समाप्त करने में हमें आजादी मिलने के बावजूद सत्तर वर्ष लग गये। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में आज भारत 129 वें स्थान पर है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर यह कहने में कतई संकोच नहीं कि आज भारतीय समाज को कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है।

समान नागरिक संहिता का अर्थ:

समान नागरिक संहिता एक ऐसे सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू हो। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य असमान कानून प्रणालियों को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व का अंग है। इसमें कहा गया है, "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" ये नीति-निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।

समान नागरिक संहिता का इतिहास:

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संविधान सभा में व्यापक बहस हुई। कुछ लोगों ने इसे समानता और न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं महिलाओं के अधिकार को

बढ़ावा देने के लिए इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए तो कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं सामाजिक शांति पर चोट पहुँचाने का माध्यम मानकर इसके विपक्ष में तर्क दिये। अंततः आम सहमति न बन पाने के कारण इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। पर 1950 के दशक में संसद द्वारा पारित हिंदू कोड बिलों को समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत 4 अधिनियम हिंदू समुदाय के भीतर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने और एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं जिसमें विवाह और उत्तराधिकार नियम प्रमुख थे।

सर्वोच्च न्यायालग द्वारा इस मुद्दे पर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं जिसने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को समय-समय पर ज्वलंत किया है। ये निम्नलिखित निर्णय भारत में लैंगिक समानता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं जैसे :

क) मो. अहमद खान बनाम शाह बानो (1985)
ख) सरला मुद्गल बनाम भारत (1995)
ग) शायरा बानो बनाम भारत संघ इत्यादि। (तीन तलाक)

वर्तमान की स्थिति:

भारत में समान नागरिक संहिता का देशव्यापी कार्यान्वयन अभी भी एक दूर का सपना बना हुआ है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है जिसे 'गोवा सिविल कोड' के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, हाल ही में, उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिक संहिता, 2024 विधेयक पारित किया है।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क या इसके लाभ : राष्ट्र एकता एवं धर्मनिरपेक्षता:

समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी। इससे विभिन्न व्यक्तिगत कानून के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक विवादों में भी कमी आएगी।

लैंगिक न्याय और समानता:

यह महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर कर लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण आदि मामलों में समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगी। यह महिलाओं को पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:
यह विभिन्न व्यक्तिगत कानून की जटिलताओं और

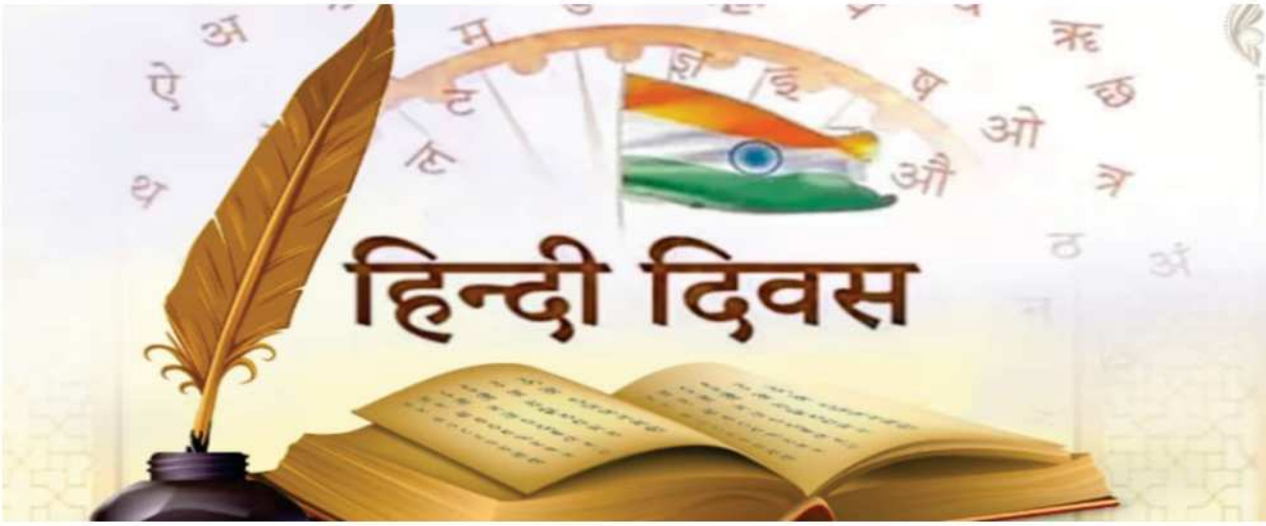

विरोधाभासों को दूर करके कानून प्राणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी।

पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार: यह प्रचलित पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और इसमें सुधार करेगी। यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी सामायोजित करेगी एवं यह भारत की वैश्विक छवि को भी सुधारेगी।

समान नागरिक संहिता के विपक्ष में तर्क –

आम सहमति का अभाव: समान संहिता के सिंद्धांतों और प्रावधानों पर सहमति की कमी के कारण ऐसी संहिता की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है जो सभी को स्वीकार्य हो।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: ऐसा कोड बनाना आसान नहीं होगा जो प्रत्येक समुदाय के कानूनों की बारीकियों को पर्याप्त रूप से संबोधित और सम्मान करता हो एवं यह भी अवश्यमभावी है कि इसके कार्यान्वयन में अत्यधिक चुनौतियाँ आएंगी।

धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा: हो सकता है कि ऐसी संहिता में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो- समुदाय की धार्मिक मान्यताओं एवं प्रथाओं के विपरीत हो।

सांस्कृतिक विविधताओं को खतरा :भारत के विविध समुदायों पर एक समान कानून थोपने से हो सकता कि किसी समुदाय विशेष की परंपराओं, रीति रिवाजों और संवेदनशीलताओं की अनदेखी हो।बहुसंख्यकवाद का भय भी अल्पसंख्यक समुदायों को सताता रहा है जब जब समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया गया है। जो सामाजिक अशांति को भी जन्म दे कर सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर सकता है।

आगे की राह: समान नागरिक संहिता को लेकर धार्मिक समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी एवं सभी हितधारकों के साथ व्यापक संवाद और परामर्श होना चाहिए। इससे सभी की चिंताओं और दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलेगी। इसके लाभों और निहितार्थों के बारे में जन-जन को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया जाए। इसे इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वह धार्मिक विविधताओं का सम्मान करने के साथ-साथ लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा दे। प्रारंभ में कम विरोध वाले क्षेत्रों में लागू करके धीरे-धीरे इसके दायरे को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष: सार्वजनिक न्याय, समानता और धर्म निरपेक्षता की दिशा में भारत की यात्रा के लिए समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। कुछ कमियों और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद, इससे अपार लाभ मिलने की संभावना है। लैंगिक समानता और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने से लेकर कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने तक, यह संहिता उत्पीड़ितों की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकजुटता एवं एकता को बढ़ावा देने का वादा करती है।

अंततः हमारी भी जिम्मेदारी बनती है यह सुनिश्चित करने की कि किसी शायरा बानो, किसी शाहबानो, किसी सरला मुद्गल को इस पितृसत्तात्मक समाज से पीड़ित होकर, अपने अधिकारों के लिए, अदालत का दरवाज न खटखटाना पड़े।

विकसित भारत @ 2047: चुनौतियाँ एवं संभावनाएं।

अन्नू मित्तल
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

विविधता, विरासत और आकांक्षाओं की भूमि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर है। "विकसित भारत" की अवधारणा देश के लोगों, नीति निर्माताओं और नेताओं के सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास की ओर ले जाने के लिए है। "विकसित भारत 2047" 2047 में अपने 100 वें स्वतंत्रता दिवस तक भारत देश को एक विकसित इकाई में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। युवा, गरीब, महिलाएं और अन्नदाता विकसित भारत के चार स्तंभ हैं। अपने 2021 स्वतंत्रता दिवस भाषण में, भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और अमृत-काल और 2047 के लिए अपने दृष्टिकोण का साझा किया। **इसी दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट 2022-23 भाषण में अमृत- काल (भारत 75 से भारत 100 तक) के दौरान, सरकार का लक्ष्य साझा किया –**

1) सूक्ष्म-आर्थिक स्तर पर सर्व-समावेशी कल्याण फोकस के साथ वृहद-आर्थिक स्तर के विकास फोकस को पूरक बनाना।

"2047 तक भारत अपनी खास जगह बनाएगा, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता का सबको पाठ पढाएगा।"

2) डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना।

3) निजी निवेश से शुरु होने वाले एक पुण्य चक्र पर भरोसा, जिसमें सार्वजनिक पूंजी निवेश निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद हो।

2024 के लक्ष्यों पर अधिक विस्तार से बताते हुए, केंद्रीय बजट 2023-24 ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जनभागीदारी आवश्यक है और सप्तऋषि सिंद्धांतों को रेखांकित किया:-

1) समावेशी विकास 2) अंतिम मील तक पहुँचना 3) बुनियादी ढाँचा और निवेश 4) क्षमता को उन्मुक्त करना 5) हरित विकास 6) युवा शक्ति 7) वित्तीय क्षेत्र

भारत के लिए अवसर :-

1) जनसांख्यिकी लाभांश :- भारत की युवा आबादी एक परिसंपत्ति हो सकती है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से उनकी क्षमता का उचित उपयोग करके विकास को गति दी जा सकती है।

2) उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र:- भारत में स्टार्टअप और उद्यमशीलन उपक्रमों में उछाल देखा गया है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

3) रणनीतिक निवेश:- मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) और बुनियादी ढांचे (सड़क, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी) में केंद्रित निवेश महत्वपूर्ण है।

4) वैश्विक भागीदारी:- अन्य देशों के साथ सहयोग करना, ज्ञान साझा करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेना विकास को गति दे सकता है।

5) मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र:- भारत का आईटी उद्योग वैश्विक सफलता की कहानी रहा है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में निरंतर निवेश देश को आगे बढ़ा सकता है।

- **विकसित स्थिति को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियाँ और संबंधित समाधान:**

1) जनसंख्या प्रबंधन:- हमारी विशाल जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। समान विकास सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या प्रबंधन रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

2) असमानता और सामाजिक न्याय:- आय असमानताएँ बनी हुई है। इस अंतर को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है जो हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करें, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें और समान अवसर प्रदान करें। लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकार और जीवन के सभी क्षेत्रों में समावेशिता एक अधिक विकसित और सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान करती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना महत्वपूर्ण है।

3) ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक समावेश: - 2030 तक, अनुमानित 40% भारतीय शहरी निवासी होंगे। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच और स्वास्थ्य सेवा असमानताओं से जूझ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास हासिल करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा, कौशल - निर्माण और बेहतर आजीविका के अवसरों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना एक बड़ी चुनौती है।

4) नौकरशाही और भ्रष्टाचारः- प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चिरस्थायी चुनौतियाँ हैं। सतत् प्रगति के लिए कुशल शासन महत्वपूर्ण है।

5) शिक्षा सुधार:- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास की आधारशिला है। भारत को ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो पहुँच और गुणवत्ता दोनों को बढाएँ।

6) स्वास्थ्य और स्थिरता :- एक स्वस्थ जनसंख्या किसी भी विकसित राष्ट्र की आधारशिला होती है। भारत कुपोषण से लेकर गैर-संचारी रोगों तक की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, निवारक उपायों और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना अनिवार्य है।

7) कौशल विकास और रोजगार:- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, आधे से अधिक भारतीय श्रमिकों को भविष्य के नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए पूर्ण कौशल की आवश्यकता है। सतत् आर्थिक विकास के लिए इस कौशल अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है।

8) बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी:- हालांकि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी अभी भी काम किया जाना बाकी है। परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन को पाटना निरंतर कार्य है।

निष्कर्ष:

विकसित देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा बहुआयामी है। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और दूरदर्शी नेतृत्व के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प, रणनीतिक योजना और सामूहिक प्रयास से हम अपने देश को विश्व मंच पर प्रगति और समृद्धि के एक प्रकाश स्तंभ में बदल सकते हैं, जो आशा और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

शिवम सचान
आशुलिपिक-2,
मुख्यालय कार्यालय

धन शोधन निवारण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग: एफ ए टी एफ (FATF) एवं जी-20 के संदर्भ में।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पारस्परिक सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनी रहे। यह सहयोग मुख्य रूप से FATF और जी-20 जैसे संगठनों की पहलों द्वारा संभव है। ये वित्तीय संस्थाएँ वित्तीय अपराधों जैसे धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण को संबोधित करने के लिए ढांचे, दिशा-निर्देश और सहयोगात्मक रणनीतियाँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

FATF, जो एक अंतरसरकारी संगठन है, इसे धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से मुकाबले करने के लिए 1989 में स्थापित किया गया था। यह संस्था सदस्य देशों को सिफारिशें प्रदान करती है। देशों को मजबूत निगरानी-ढांचे स्थापित करने, कानूनी प्रक्रियाओं को तैयार करने तथा अंतरराष्ट्रीय-सहयोग में समर्थन प्रदान के लिए प्रेरित करती है। सदस्य देशों में सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन भी करती है। यह 'वाच डॉग' की तरह कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त, जी-20 वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, जिसमें धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, को हल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एकत्रित करके अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी-20 का वर्तमान में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 80% से ज्यादा योगदान है, इसके अलावा, जी-20 देशों का योगदान वैश्विक व्यापार में 75% और दुनिया की आबादी में दो-तिहाई होता है।

जी-20 अपनी बैठकों और सम्मेलनों के जरिए FATF और अन्य संगठनों के साथ मिलकर इन मुद्दों को संबोधित करता है। जी-20 FATF मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और सदस्यों को वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए अपने कानूनी और

नियामक ढांचे में सुधार करने के लिए उत्साहित करता है।

भारत वर्ष 2020 में FATF का सदस्य बना। इसके पहले FATF ने जून, 2010 में भारत के लिए एक आंकलन किया था। भारत को तब नियमित 'अनुविधा' श्रेणी में रखा गया था। लेकिन इसे बाद की जून, 2013 में इस श्रेणी से हटा दिया गया था। भारत के संदर्भ में FATF का मूल्यांकन नवंबर 2023 में किया गया था। जिसमें FATF में, भारत में गैर-लाभकारी क्षेत्र के दुरुपयोग से संबधित खबरों के बारे में चिंता व्यक्त की है, जैसा कि कई अन्य संगठनों, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, द्वारा भी इंगित किया गया है। भारत के लिए अपने एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण (AML/CAT) ढांचों को मजबूत करना आवश्यक है, जिसे 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के साथ शुरु किया गया था और बाद के वर्षों में संशोधित किया गया है। हालांकि वर्तमान सरकार पर इसके दुरुपयोग के आरोप भी लगातार लगाये जाते रहे है, तथापि FATF ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया कि भारत ने अपने मानकों के साथ 'उच्च स्तर का तकनीकी' अनुपालन हासिल किया है। देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित जोखिमों को समझने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में शामिल होने, अपराधियों की संपत्तियों को अटैच करने और काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग उपायों को लागू करने में अच्छे परिणाम दिखाए हैं। भारत की वर्तमान सरकार ने लोकसभा में बताया कि ED ने PMLA के मामलों में 7,083 मामले जुलाई 2024 तक दर्ज किए हैं तथा 1.4 लाख करोड़ की सम्पत्तियाँ अटैच की है। तथा ED ने 93%, कन्विक्शन रेट दर्ज किया है।

निष्कर्ष:

FATF और जी-20 द्वारा समाहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। उनके ढांचे और सिफारिशों को प्रभावी अंतरराष्ट्रीय उपाय (धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ) विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण और दिशा-निर्देश प्रदान करती है। एक साथ मिलकर काम करके, सदस्य देश वित्तीय अपराधों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत कर सकते है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को सुनिश्चित कर सकते हैं और आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं।

यह भारत की जनता के बहुत बड़े वर्ग की और, यदि हम छोटे-मोटे बोलीगत रूप भेदों को छोड़ दें तो, बहुमत की भाषा है। वास्तव में यह उसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय भाषा होने का दावा कर सकती है, जिस प्रकार से हिन्दू धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है।

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

संपादकीय डेस्क से...

एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप

हिन्दी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिन्दी में भी इस एकरूपता का अभाव था। अतः निदेशालय में 5-6 फरवरी, 1980 को आयोजित भाषाविज्ञानियों की बैठक में इस पर गम्भीरता से विचार किया गया। तदनुसार एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत

एक	**दो**	**तीन**	**चार**	**पाँच**	**छह**	**सात**	**आठ**	**नौ**	**दस**
One	Two	Three	Four	Five	Six	Seven	Eight	Nine	Ten
ग्यारह	**बारह**	**तेरह**	**चौदह**	**पंद्रह**	**सोलह**	**सत्रह**	**अठारह**	**उन्नीस**	**बीस**
Eleven	Twelve	Thirteen	Fourteen	Fifteen	Sixteen	Seventeen	Eighteen	Nineteen	Twenty
इक्कीस	**बाईस**	**तेईस**	**चौबीस**	**पच्चीस**	**छब्बीस**	**सत्ताईस**	**अट्ठाईस**	**उनतीस**	**तीस**
Twenty One	Twenty Two	Twenty Three	Twenty Four	Twenty Five	Twenty Six	Twenty Seven	Twenty Eight	Twenty Nine	Thirty
इकतीस	**बत्तीस**	**तैतीस**	**चौतीस**	**पैतीस**	**छत्तीस**	**सैतिस**	**अड़तीस**	**उनतालीस**	**चालीस**
Thirty One	Thirty Two	Thirty Three	Thirty Four	Thirty Five	Thirty Six	Thirty Seven	Thirty Eight	Thirty Nine	Forty
इकतालीस	**बयालीस**	**तैतालीस**	**चवालीस**	**पैतालीस**	**छियालीस**	**सैतालीस**	**अड़तालीस**	**उनचास**	**पचास**
Forty One	Forty Two	Forty Three	Forty Four	Forty Five	Forty Six	Forty Seven	Forty Eight	Forty Nine	Fifty
इक्यावन	**बावन**	**तिरपन**	**चौवन**	**पचपन**	**छप्पन**	**सतावन**	**अठावन**	**उनसठ**	**साठ**
Fifty One	Fifty Two	Fifty Three	Fifty Four	Fifty Five	Fifty Six	Fifty Seven	Fifty Eight	Fifty Nine	Sixty
इकसठ	**बासठ**	**तिरसठ**	**चौसठ**	**पैसठ**	**छियासठ**	**सड़सठ**	**अड़सठ**	**उनहत्तर**	**सत्तर**
Sixty One	Sixty Two	Sixty Three	Sixty Four	Sixty Five	Sixty Six	Sixty Seven	Sixty Eight	Sixty Nine	Seventy
इकहत्तर	**बहत्तर**	**तिहत्तर**	**चौहत्तर**	**पचहत्तर**	**छिहत्तर**	**सतहत्तर**	**अटहत्तर**	**उनासी**	**अस्सी**
Seventy One	Seventy Two	Seventy Three	Seventy Four	Seventy Five	Seventy Six	Seven	Seventy Eight	Seventy Nine	Eighty
इक्यासी	**बयासी**	**तिरासी**	**चौरासी**	**पचासी**	**छियासी**	**सतासी**	**अठासी**	**नवासी**	**नब्बे**
Eighty One	Eighty Two	Eighty Three	Eighty Four	Eighty Five	Eighty Six	Eighty Seven	Eighty Eight	Eighty Nine	Ninety
इक्यानवे	**बानवे**	**तिरानवे**	**चौरानवे**	**पचानवे**	**छियानवे**	**सतानवे**	**अठानवे**	**निन्यानवे**	**सौ**
Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Ninety	Hundred

“प्राथमिकी शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए”

–माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय

[दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी/अभियोग दैनिकी आदि को दर्ज करते समय सरल शब्दों के प्रयोग से संबंधित माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत शब्दों की सूची के प्रस्तुतीकरण का संदर्भ]

प्रवर्तन निदेशालय देश की एक अग्रणी अन्वेषण संस्था है जो विभिन्न आपराधिक मामलों में धनशोधन के पहलुओं पर केंद्रित अन्वेषण करता है| अधिकांश धन शोधन के मामले पुलिस या अन्य विधि प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आनुषंगिक अध्ययन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया से शुरू होती है | भारत में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी राजकीय कार्य का प्रावधान है एवं राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कहीं-कहीं राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य की भाषाओं में भी न्यायालय की कार्यवाही की जाती है| कुछ राज्यों में हिंदी न्यायालय की कार्यवाही की भाषा है एवं प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर न्यायालय के आदेश तक हिंदी में जारी किए जाते हैं|लेकिन,विधि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के नाम पर उर्दू-फारसी आदि शब्दों का प्रचलन बहुतायत देखने को मिलती है| विशेषकर दिल्ली के पुलिस थानों में दर्ज की जाने वाली प्राथमीकियों में प्रयुक्त उर्दू-फारसी आदि के अनेक अप्रचलित एवं दुरूह शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे एक साधारण पढ़े -लिखे व्यक्ति को भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी की भाषा को समझने में इतनी कठिनाई होती है कि वो इस प्राथमिकी के विषय-वस्तु में अपनी शिकायत की मूल भावना एवं इसके भावी परिणामों की समझ से कोसों दूर रह जाता है|

यही समस्या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को अन्वेषण के दौरान इन प्राथमिकियों के अध्ययन में होती है, हिंदीतर एवं अंग्रेजी भाषी तो दूर, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले/ प्रवीणता प्राप्त अधिकारी को भी हिंदी में लिखी इन प्राथमीकियों की भाषा दुरूह लगती है| यही समस्या राजभाषा अनुभाग द्वारा इन प्राथमीकियों के अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आती है |

राजभाषा विभाग भी सरकारी कार्यों में सहज सरल हिंदी भाषा का आग्रह करता रहा है। **बड़े पैमाने पर पूरी जनता (विशेष रूप से संबंधित पक्षों) को समझ आने वाली भाषा में सरल हिंदी या अंग्रेजी भाषा (या मामले के पक्षों के लिए उपयुक्त कोई भी भाषा) का उपयोग करने के अनुरोध के साथ 2018 में, एक जनहित याचिका रिट याचिका शीर्षक "विशालाक्षी गोयल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया'** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयी थी जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते समय उर्दू फ़ारसी शब्दों के इस्तेमाल को चुनौती दी गयी थी।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.08.2019 को उपर्युक्त मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि प्राथमिकी शिकायतकर्ता के शब्दों में होनी चाहिए। बहुत अधिक जटिल भाषा, जिसका अर्थ शब्दकोशों की मदद से खोजा जाता है, प्राथमिकी में इस्तेमाल नहीं किया जाना है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए नहीं जो उर्दू, हिंदी या फारसी भाषाओं में डॉक्टरेट की पदवी धारक हैं। जहां तक संभव हो, प्राथमिकी में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, कार्यालय, पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा सामान्य उर्दू फारसी शब्दों (प्रतिलिपि संलग्न) की एक सूची उनके सरल हिंदी/अंग्रेजी शब्दों में अनुवाद के साथ सभी जिलों व जाँच इकाईयों के पुलिस उपायुक्तों को दिनांक 20.11.2019 के माध्यम से भेजी गयी थी ताकि जाँच अधिकारी/कर्त्तव्य अधिकारियों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि प्राथमिकी दर्ज करते समय सरल शब्दों का उपयोग किया जाये, जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा सके। प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ अभियोग दैनिकी, सूची और चार्जशीट आदि तैयार करते समय जाँच अधिकारी द्वारा पुरातन उर्दू फ़ारसी शब्दों की जगह अधिक से अधिक सरल शब्दों का उपयोग किया जाये, जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा सके।

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त दिल्ली द्वारा न्यायालय के दिनांक 7-08-2019 एवं 25-11-2019 के आदेशों के अनुपालन पर संतोष जताते हुए अन्य आदेशों के साथ-साथ यह भी राय व्यक्त किया - "हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि हमने उर्दू शब्दों के उपयोग के खिलाफ राय नहीं दी है। प्रत्येक भाषा को अपना सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है और हम एक भाषा के रूप में उर्दू की समृद्धि के प्रति सचेत हैं। हम केवल इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि एक प्राथमिकी (एफआईआर) को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि यह आम आदमी के लिए समझ में आए। एक प्राथमिकी आपराधिक जांच प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है, और पुरातन अभिव्यक्तियों का उपयोग, जिसका आम आदमी शायद ही कभी उपयोग करता है, आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसलिए, हम स्पष्ट करते हैं कि आम इस्तेमाल के उर्दू शब्दों, जैसे 'किताब', 'इल्ज़ाम', 'हवालत' आदि का उपयोग अनुमेय हो सकता है, अस्पष्ट और पुरातन अभिव्यक्तियों को प्राथमिकी में कोई जगह नहीं मिल सकती है।"

निदेशालय के अधिकारियों को अन्वेषण हेतु दुरूह,अप्रचलित उर्दू-फारसी के शब्दों वाले पुराने प्राथमीकियों के सम्यक अध्ययन तथा विधि से संबंधित अन्य कागजातों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों के सहज अर्थ-ग्रहण में उपयोगी माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित 7 अगस्त, 2019 और 25 नवंबर, 2019 के आदेशों में उल्लिखित शब्दों की सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है :

क्र.सं	उर्दू शब्द	हिंदी शब्द	अंग्रेजी शब्द
1.	अहम	विशेष	Special
2.	अदम पता	जिसका पता ना चले	Untrace
3.	मुजरिम	अपराधी	Culprit
4.	अदम शनाख्त	जिसकी पहचान न हुई हो	Unidentified
5.	मानिंद बाला	बाला ऊपर	As above
6.	अफसरान बाला	उच्च अधिकारी	Senior Officers
7.	अरसाल	प्रस्तुत है	Submitted
8.	अकब	पीछे	Behind, back
9.	ओहदा	पद	Rank
10.	असलियत	वास्तविकता, सच्चाई	Reality
11.	इकबाल	स्वीकार	Confession
12.	इकरार	वचन, वायदा	Promise
13.	इत्तिला	सूचना	Information
14.	इंतकाम	बदला लेना	Revenge
15.	इलजाम	आरोप	Charge
16.	इंसतगासा	परिवाद, शिकायत	Complaint
17.	इंतजाम	प्रबंध करना, बंदोबस्त	Arrangement
18.	इंसदादी कार्यवाही	निवारक कार्यवाही	Preventive action
19.	इस्तहार-शोर-ए-गोगा	इश्तेहार शोरे-गोगा	Hue and Cry Notice
20.	कलमबंद	बयान लिखना	Writing Statement
21.	काबिल दस्त अन्दाजी	संज्ञेय अपराध	Cognizable Offence
22.	कायमी	बनाना, दर्ज करना जैसे मुकदमा दर्ज करना	To lodge
23.	खिदमत	सेवा में	Submitted
24.	खाना तलाशी	घर इत्यादि की तलाशी	House
25.	गुजारिश	निवेदन	Request
26.	गुफ्तगू	बातचीत	Conversation
27.	गिरोह	गैंग, दल, अपराधियों का गिरोह	Gangs
28.	गैर आबाद	जिसमे कोई न रहता हो	Deserted
29.	चश्मदीद	आँखों देखा	Eyewitness
30.	जेर-ए-तफतीश	अनुसंधानाधीन	Under Investigation
31.	जैल	निम्न	Following
32.	सज़ा याफता	सजा काट चुका व्यक्ति	Ex Convict
33.	जेब तराशी	जेब से पैसा चोरी करना	Pick Pocketing
34.	जाहिर	बतलाना, स्पष्ट	Express
35.	तसदीक	सत्यापित	Attested

संपादकीय डेस्क से...

36.	तहरीर	लेख	Article
37.	तलब	बुलाना	Summon
38.	तेजधार हथियार	पैना हथियार	Sharp Weapon
39.	तामील	पालना	Compliance
40.	**ततीमा**	**अतिरिक्त**	**Supplementary**
41.	तफतीष	अनुसंधान	Investigation
42.	दस्तावेज़	लिखित सामग्री जो प्रमाण के रूप में प्रयोग की जा सके	Document
43.	दस्तखत	हस्ताक्षर	Signature
44.	दरयाफ्त	पूछताछ	Enquiry
45.	दुरुस्त	ठीक	Right, Ok
46.	हालात	दशा	Condition
47.	ढोर	पशु	Animal
48.	पर्त चाहरूम	चौथी प्रति	Fourth Copy
49.	फ़िजूल	बेकार, वाहियात	Waste
50.	फर्द	ज्ञप्ति, सूची	List, Memo
51.	फ़र्द बरामदगी	बरामद होने वाले सामान की सूची	Recovery Memo
52.	फ़र्द मकबूजगी	किसी वस्तु को कब्जे में लेने के बारे में लिखित दस्तावेज़	Seizure Memo
53.	फ़र्द हवालगी	हवाले करने की सूची	Handing over memo
54.	फर्द शिनाख्त	पहचान करने की सूची	Identification Memo
55.	फर्द इंकशाफ़	दोषी अपराध स्वीकार करे वह सूची	Disclosure Memo
56.	फ़र्द निशानदेही	दोषी किसी स्थान को बतलाए	Identification Memo of Place
57.	फ़र्द जामा तलाशी	शरीर की तलाशी	Body Search
58.	फांद कर	कूदकर	By Jumping
59.	फेहरिस्त	सूची	List
60.	बदनियत	बुरी नीयत	Bad Intention
61.	बर बयान	कथनानुसार	As per statement
62.	बा कायदा	नियमानुसार	According to rule
63.	बाला	उपरोक्त	Above
64.	बजरिया	द्वारा	By
65.	मुरसला	लिखित भेजी गई	Sent in writing
66.	मर्तब	तरतीब से लगाया गया	Compile
67.	मौका	घटनास्थल	Place of occurrence
68.	मन	स्वयं, मैं	I, Myself
69.	मुसम्मी	श्री	Mr.
70.	मुसम्मात	सुश्री, श्रीमती	Ms.
71.	मुजरमान	दोषीगण	Culprits
72.	मुद्दई	शिकायतकर्ता	Complainant

संपादकीय डेस्क से...

73.	मुशतबहा	जिस व्यक्ति पर अपराध करने का शक हो	Suspicious
74.	मज़रूब	जख्मी, घायल	Injured person
75.	मजकूरा	पुरुष	Male
76.	मज़कूरिया	घायल स्त्री	Female injured
77.	मुअज़्ज़िज़	प्रतिष्ठित व्यक्ति	Famous person
78.	मुख्तसर हालात	संक्षिप्त हालात	Brief facts
79.	मुनासिब	उचित जैसे मुनासिब हिदायत	Appropriate
80.	मुकम्मल हालात	पूर्ण, पूरा, सारा	Entire facts
81.	मुफ़स्सल हालात	पूर्ण (विस्तृत हालात)	Complete facts conditions
82.	मौजूदगी	उपस्थिति	Present
83.	मुलाहजा	निरीक्षण घटना स्थल का	Inspection
84.	मुखबर	गुप्तचर, गुप्त सूचना देना वाला	Spy, Informer
85.	मसरूफ	व्यस्त	Busy
86.	मवेशी	पशु	Animal
87.	मौसूल	प्राप्त	Received
88.	मजमा खिलाफ़े कानून	कानून विरुद्ध जमाव	Unlawful Assembly
89.	माल मरारुका	चोरी की संपत्ति	Stolen property
90.	मारफत	द्वारा	By
91.	महफूज	सुरक्षित	Safe
92.	मुचलका	बन्द-पत्र	Bond
93.	मुरान्ना	मूल प्रति, नकल मुताबिक असल	True copy
94.	नज़्द	पास	Near
95.	नकुलात		Duplicate copies
96.	नतीजा	परिणाम	Result
97.	नजरी	आँखों देखा	Without scale
98.	नामजद	नामित	By name
99.	नजरबंद	रोके रखना, कैद करना	Confine, Detain
100.	ना काबिले दस्तअंद जी	असंज्ञेय	Non- Cognizable
101.	रोजनामचा	दैनिक डायरी	Daily Diary
102.	रंजिश	दुश्मनी, खुन्दस	Enmity
103.	रू-ब-रू गवाहा जैल	निम्नलिखित गवाहों के सामने	In front of following witnesses
104.	वारदात	घटना	Incident
105.	वायदा मुआफ गवाह	दोषी को क्षमा करने का वचन देकर गवाह बनाना	Approver

संपादकीय डेस्क से...

106.	संगीन अपराध	गंभीर अपराध	Serious crime
107.	शख्स	व्यक्ति	Person
108.	सह	साथी	Associate
109.	सरजद	घटित	Happened
110.	शहादत	गवाही	Evidence
111.	शिनाख्त	पहचान	Identification
112.	हस्ब जाब्ता	दंड प्रक्रिया संहिता अनुसार	As per Cr.PC
113.	हिदायत	चेतावनी	Caution, warning
114.	हिफाजत	सुरक्षा	Security
115.	हवालाती	विचाराधीन अभियोगों में कारावास में बंद व्यक्ति	Under trial prisoner
116.	हस्ब मामूल	मिलजुल कर	In harmony
117.	हुक्म	आदेश	Order
118.	हुलिया	पहचानने योग्य	Feature
119.	हमराह	साथ लेना	Alongwith
120.	हस्ब मुफ्त साइल	शिकायतकर्ता के कथनानुसार	As per the statement of complainant
121.	हमराही मुलाज़मान	साथी कर्मचारी	Colleagues
122.	अदद	केवल	Only
123.	जिमनी हजा	यह जिमनी	This case diary
124.	जिमनी	केस डायरी	Case diary
125.	अर्जे	प्रस्तुत	Present
126.	मुलाकी	अचानक मिलना	Meet suddenly
127.	बज़रिये	माध्यम से, के द्वारा	By
128.	बदस्त	माध्यम से	Through
129.	जामातलाशी	व्यक्तिगत तलाशी	Personal search
130.	बकलम खुद	अपनी कलम से लिखा हुआ	Written by self
131.	गवाहान	साक्षियाँ	Witnesses
132.	बयानात	कथन	Statement
133.	चस्पा	चिपका हुआ	Paste
134.	चश्मदीद गवाह	घटना पर उपस्थित व्यक्ति	Eye witness
135.	जाए तैनाती	नियुक्ति की जगह	Place of posting
136.	अदमपता	जिसका पता न चला हो	Address not known
137.	सजायाफ्ता	जिसको सजा हो गई हो	Convicted
138.	अदम सजा याफ्ता	जिसको कोई सजा न हो	Acquitted
139.	आगाज	शुरुआत	Start/Begin

संपादकीय डेस्क से...

140.	मुकम्मल	पूर्ण	Complete
141.	इश्तहार	तलाश के लिए पोस्टर	Poster
142.	शहादत	गवाही	Evidence
143.	वल्द	पुत्र(का पिता)	Son of
144.	उर्फ	उपनाम	Alias
145.	जख्म	चोट	Injury
146.	मर्म रिपोर्ट	मृत्यु जाँच रिपोर्ट	Post Mortem Report
147.	चुस्त	तत्पर	Prompt, Quick
148.	जायज़	उचित	Proper
149.	मुमकिन	संभव	Possible
150.	नअश	लाश	Dead body
151.	तहवील	कब्ज़ा	Possession
152.	खानातलाशी	स्थान की तलाशी	Search of place
153.	बसिलसिला	के संबंध में	In connection with
154.	मुसम्मी	अमुक व्यक्ति	Shri
155.	रू-ब-रू	निम्नलिखित साक्षियों (के समक्ष)	In the presence
156.	हरफ-ब-हरफ	शब्दशः	Word by word
157.	बदस्तूर	नियमानुसार	As per procedure
158.	हालात	परिस्थिति	Circumstances
159.	सालरा	मध्यस्थ	Mediator
160.	नक्शामर्म	मृतक का नक्शा	Sketch of dead body
161.	शिनाख्तशुदा	जिसके विषय में पूर्ण जानकारी हो	Identified
162.	अदम शनाख्त	जिसके विषय में पूर्ण जानकारी न हो	Unidentified
163.	तामील करना	आज्ञा नोट करना	Noted for compliance
164.	बेगार	बिना पैसे दिए काम लेना	Unpaid labour
165.	खिलाफ	विरुद्ध, विपरीत	Against
166.	दस्ती	हाथों हाथ	By hand
167.	मशवरा	सलाह	Consult
168.	गैर कानूनी	कानून के विरुद्ध	Against law, Illegal
169.	मलकियत	स्वामित्व	Ownership
170.	बेशकीमती	मूल्यवान	Valuable
171.	असलाह	हथियार, यंत्र	Weapon
172.	नाजायज़	अवैध (कानून के विरुद्ध)	Illegal
173.	मुकद्दमात	अभियोग	Accusation
174.	दख्ल देना	बीच में टोका टाकी करना	Interfere
175.	दखलंदाजी	बिना किसी वजह से शिरकत करना	Interference
176.	फरियादी	शिकायत करने वाला	Complainant
177.	गश्त	पहरा करना	Patrolling
178.	तहत	अनुसार	According to
179.	ताईद	पुष्टि करना (समर्थन करना)	Ascertain
180.	मंजूरशुदा	स्वीकृत	Sanctioned

संपादकीय डेस्क से...

181.	इत्तफाक	संयोग	Coincidence
182.	एतराज	आपत्ति	Objection
183.	जब्त करना	कब्जे में लेना	Seize
184.	जिदोजहद	संघर्ष	Struggle
185.	दस्तखत	हस्ताक्षर	Signature
186.	आदतन अपराधी	बार बार अपराध करने वाला	Habitual offender
187.	पैमाइश	नापतोल करना	Measurement
188.	मजबून	विषय	Facts
189.	ख्वाहिश	इच्छा	Wish
190.	परवाना	ठजाजतनामा, लिखित आदेश	Permission letter
191.	कशमकश	खींचा तानी	Pulling
192.	मुलाजिम	कर्मचारी	Employee
193.	शामलात	सभी का हिस्सा	Joint share
194.	चंद	कुछ (मात्रा में)	Few, Little
195.	रुआँसा	रोता हुआ	Sobbing
196.	शामिल तफतीश	अन्वेषण में सम्मिलित करना	Join in investigation
197.	बाहुक्म	की आज्ञा से	By order of
198.	फरमान	आदेश अनुसार	Order
199.	जिरह	बहस, तर्क	Argument
200.	मुत्तल्लिक	संबंधित	Connected
201.	फर्क	अंतर	Difference
202.	गिला	शिकायत	Complaint
203.	नामुमकिन	असंभव(मुश्किल)	Impossible
204.	तवज्जौ	रुचि	Interest
205.	बेवजह	बिना किसी कारण के	Without any reason
206.	वाजिब	उचित	Appropriate
207.	मद्देनजर	ध्यान में रखते हुए	Keeping in view
208.	गैर जिम्मेदारान	जो अपनी जिम्मेदारी कर्तव्यों के बारे में न जानता हो	Irresponsible
209.	इकरारनामा	समझौता पत्र	Agreement
210.	इन्द्राज	प्रविष्टि	Entry
211.	अज खुद	स्वयं, स्वतः	Self
212.	अंदेशा	आशंका	Doubt
213.	अदम तामील	निष्पादन न होना	Not served
214.	इत्तला	सूचना	Information
215.	फरीक अव्वल	प्रथम पक्ष	First Party
216.	फरीक दोयम	द्वितीय पक्ष	Second Party

संपादकीय डेस्क से...

217.	आगाह	सावधान करना	Warn
218.	आला	उच्च, श्रेष्ठ	Senior
219.	इजाजत	अनुमति	Permission
220.	इन्सिदादे जराइम	अपराधों का निवारण	Controm of Crime
221.	इरादतन	जानबूझकर	Knowingly
222.	इरसाल	भेजना	Dispatch
223.	ईजाद	आविष्कार	Discovery
224.	करार	निश्चय, प्रतिज्ञा	Agreement
225.	कार आमद	उपयोगी	Useful
226.	काबिले दस्तंदाजी	संज्ञेय	Cognizable
227.	काबिज	कब्जा रखने वाला	Having Possession
228.	फर्दन फर्दन	अलग-अलग	Separately
229.	फौजदारी	आपराधिक	Criminal
230.	बयान	कथन	Statement
231.	बयान तहरीरी	लिखित बयान	Written Statement
232.	बयान हल्फी	शपथ पत्र	Affidavit
233.	बरखास्त	पदच्युत	Dismissed
234.	बरी	मुक्त	Acquit
235.	बसिलसिला	के प्रसंग में, के क्रम में	With reference to
236.	बहाजिरी	उपस्थिति में	In the presence of
237.	बाबत	के सम्बन्ध में, के विषय में	In respect of
238.	बाबत इत्तला	सूचना के विषय में	Information in respect of
239.	बेगुनाह शख्स	निर्दोष व्यक्ति	Innocent
240.	मजकूर	उपरोक्त/पूर्वोक्त	Above mentioned
241.	मजमा	भीड़, जनसमूह	Crowd
242.	मशकूक	संदिग्ध	Suspicious
243.	मशविरा	मंत्रणा, परामर्श	Advice
244.	महकमा	विभाग	Department
245.	मातहत	अधीन, अधीनस्थ	Subordinate
246.	मार्फत	द्वारा	Through by
247.	मामूर	नियुक्त	Appoint
248.	मालियती	मूल्य सम्बन्धी	Price related
249.	माली हैसियत	आर्थिक स्थिति	Economic condition
250.	मासूम	नम्र स्वाभाव वाला	Innocent
251.	मिसल, मिरल	फाइल, पत्रावली	File Example

संपादकीय डेस्क से...

252.	मिसाल	उदाहरण	Example
253.	मुअत्तल	निलंबित	Suspend
254.	मुआईना	निरीक्षण	Examination
255.	मुकाम	स्थान	Destination
256.	मुख्तलिफ	भिन्न-भिन्न, विभिन्न	Different
257.	मुकर्रर	नियत, निश्चित	Agreed
258.	मुजरिम	अपराधी	Accused
259.	मुतनाजा	विवादास्पद	Disputed
260.	काबिले समायत	सुनवाई के योग्य	Fit for hearing
261.	कौम	जाति	Cast
262.	ख़ारिज	निरस्त	Dismiss
263.	जनाबे आली	श्रीमान	Sir
264.	जमानत	प्रतिभूति	Bail
265.	जर	धन, रुपया	Wealth
266.	जुरायम पेशा	अपराधजीवी	Profession of Crime
267.	संगीन जुराईन	गंभीर अपराध	Heinous offence/crime
268.	जलील	अपमानित, तिरस्कृत	Insulted
269.	जानिब	दिशा, ओर	Direction
270.	**जवाबतलब**	**उत्तरदेय**	**Seek response**
271.	जवाबदेह	उत्तरदायी	Responsible
272.	जामिन	प्रति भू, जमानतदार	Surety
273.	जिस्म	शरीर	Body
274.	जुर्म	अपराध	Offence
275.	जेरे-ए-तफ्तीश	विचाराधीन	Dismiss
276.	जेरे-ए-निगरानी	देख-रेख में	Under observation
277.	जेरे-ए-हिरासत	हिरासत में, हवालात में	Under custody
278.	तफसील	ब्यौरा, विवरण	Particulars
279.	मुफ़स्सल	विस्तृत, ब्यौरेवार	Detailed
280.	मोहलत	अवसर	Opportunity
281.	मौजूद	विद्यमान, उपस्थित	Present
282.	रजामंदी	सहमति	Consent
283.	रवानगी	प्रस्थान	Departure
284.	राजीनामा	समझौता पत्र	Settlement
285.	रिश्वत	घूस	Bribe

संपादकीय डेस्क से...

286.	रिहा	मुक्त	Acquit
287.	रूह पोष	भागा हुआ, फरार	Absconder
288.	लावारिस	जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो	Abandon
289.	लिहाजा	इसलिए	So
290.	बकुआ	घटना होना	Incident
291.	वजह	कारण	Reason
292.	वजह माकूल	पर्याप्त कारण	Sufficient ground
293.	वालिदैन	माता-पिता	Parents
294.	संगीन	गंभीर	Heinous
295.	सबूत	प्रमाण, साक्ष्य	Evidence
296.	समायत	सुनवाई	Hearing
297.	साबित	सिद्ध, प्रमाणित	Prove
298.	सुराग	पता, खोज	Clue
299.	सुलह	समझौता	Settlement
300.	**हलफन**	**शपथपूर्वक**	**On oath**
301.	हरबतलब	बुलाने के अनुसार	Summoned
302.	हरबेजैल	निम्नलिखित	Following
303.	तब्दील	परिवर्तित	Change, convert
304.	तमाम	समस्त, सारा, सब	All
305.	मोहर्रर	लिपिक	In charge, Record &MaalKhana
306.	हवालात	कारागार	Lock-up
307.	नकल रपट	प्रतिवेदन की प्रति	Copy of daily diary entry
308.	दीगर	अन्य	Other
309.	जाब्ता	विधि, कानून, प्रक्रिया	Legal procedure
310.	जाब्ता फौजदारी	दंड प्रक्रिया संहिता	Code of Criminal
311.	ताजिराते हिन्द	भारतीय दंड संहिता	Indian Penal Code
312.	जुरायम	अपराध	Crime
313.	इन्सदाद जुरायम	अपराधों की रोकथाम	Prevention of Crime
314.	बकार सरकार	राजकीय कार्य हेतु	For official work
315.	बमय	के साथ	Along with
316.	बगर्ज	उद्देश्य	Objective
317.	मुद्दई	शिकायतकर्ता	Complainant
318.	आरिन्दा	आगंतुक	Reporting Person
319.	मकबूजगी	प्राप्ति	Seizure

संपादकीय डेस्क से...

320.	इंकशाफ	प्रकटन	Disclosure
321.	निशानदेही	ध्यानाकर्षण	Poining out. instance
322.	बरामदगी	पुनः प्राप्ति	Recovery
323.	बह्वालगी	प्रदान करने के लिए	To give
324.	नाजायज	अवैध	Illegal
325.	गैर कानूनी	विधि विरुद्ध	Illegal
326.	मजमा	सभा, समूह	Crowd
327.	हिरासत	अभिरक्षा	Custody
328.	जैल	निम्नलिखित	Given below
329.	गवाहान	साक्षी	Witness
330.	मशकूक हालात	संदिग्ध परिस्थितियाँ	Suspicious circumstances
331.	ताईद	स्वीकार	Confirm
332.	वकवा, वकुआ	घटना स्थल	Place of occurrence
333.	वाकिया	घटना	Incident
334.	रवानगी	जाना, निकलना	Departure
335.	इत्तेफाकिया	संयोगवश, भाग्यवश	By Chance
336.	मुसलसल	निरंतर	Continuous
337.	तफसील	विस्तार	Detailed
338.	अजाने	नामक	Namely
339.	बयान	कथन	Statement
340.	जामा तलाशी	व्यक्तिगत खोज	Personal Search
341.	इमरोज	आज	Today
342.	हजा	इस, यह	This, that
343.	साबका	पूर्व, पहले का	Previous
344.	मजीद	आगे का बाद का	Later
345.	तसव्वुर	कल्पना	Observe
346.	बाहाजिर	उपस्थिति	Present
347.	पेशबन्दी	उपस्थिति	Present, produce
348.	पुलिन्दा	पोटली	Package
349.	निशान अंगुस्त	उँगलियों के चिन्ह	Finger prints
350.	बरखिलाफ	के विरुद्ध	Against
351.	जाति मुचलका	व्यक्तिगत बंधपत्र	Personal bond
352.	जमानत नामा	प्रतिभूति पत्र	Bail bond
353.	मुरतबा, मर्तबा	लिखित	Written
354.	बदस्त	के हाथ	Through

संपादकीय डेस्क से...

355.	बरूए फर्द	स्मरणिका के माध्यम से	Through seizure memo
356.	मुताबिक़	अनुसार	According to
357.	मुतल्लिक	के सम्बन्ध में	In respect of
358.	मुतलका	सम्बंधित	Relevant
359.	इन्द्राज	प्रविष्टि	Entry
360.	पुश्त हजा	इससे पूर्व	Previous
361.	फरीक	पक्ष	Party
362.	अव्वल	प्रथम	First
363.	दोयम	द्वितीय	Second
364.	मुत्फर्रिक	विभिन्न	Different
365.	फारिम	निवृत्त	Retired
366.	सरसब्ज	पुनः प्रारंभ	Re-start
367.	मजमून	व्याख्या	Explanation
368.	अलहदा	अलग	Separate
369.	पारचा	कपड़ा	Cloth
370.	बएतवार शहादत	साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए	Relying on evidence
371.	ढब	तरफ	Side
372.	बतौर	के रूप में	As
373.	आगाज	प्रारम्भ	Begin
374.	अनजाम	अन्त	End
375.	इमदाद	सहायता	Help, assitance
376.	आमदो रफ्त	आवागमन	Coming and going
377.	मौसूलगी	प्राप्ति	Receipt
378.	बाकलम खुद	अपनी कलम से	Self Written
379.	सूरतजुर्म	धारान्तर्गत	Offence under section
380.	जेरे हिरासत	अभिरक्षा	Under custody
381.	जेर निगरानी	देख रेख में	Under observation
382.	सर बमुहर	मुद्रांकण	Stamped, sealed

"हिंदी ही एक भाषा है, जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है।"

- डॉ. ग्रियर्सन

श्रीमती मोनिका शर्मा, विशेष निदेशक, मुख्यालय द्वारा श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट की गई ।

श्रीमती मोनिका शर्मा, विशेष निदेशक, मुख्यालय हिन्दी दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री अभिषेक गोयल, विशेष निदेशक (एचआईयू) हिन्दी दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री निखिल गोविला, अपर निदेशक (प्रशा. एवं लेखा) हिन्दी दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री विक्रांत बंगोंत्रा, (उप निदेशक प्रशा. एवं लेखा) हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए

हिंदी दिवस समारोह की कुछ झलकियां:

श्रीमती मोनिका शर्मा,(विशेष निदेशक, मुख्यालय) द्वारा प्रवर्तन निदेशक महोदय को राजभाषा हीरक जयंती स्मृति सिक्का भेंट करते हुए

श्री विक्रांत बंगोंत्रा, उपनिदेशक (प्रशा.) श्रीमती मोनिका शर्मा, विशेष निदेशक, मुख्यालय) को राजभाषा हीरक जयंती स्मृति-सिक्का भेंट करते हुए

श्री निखिल गोविला, अपर निदेशक (प्रशा. एवं लेखा), श्री अभिषेक गोयल, विशेष निदेशक (एचआईयू) को हीरक जयंती स्मृति चिन्ह देते हुए

हिंदी दिवस समारोह की कुछ झलकियां:

हिन्दी दिवस समापन समारोह की कुछ झलकियां: निदेशक महोदय हिन्दी पखवाड़ा, 2024 के समापन सत्र के दौरान अधिकारियों तथा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

राजभाषा हीरक जयंती समारोह - हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां

राजभाषा हीरक जयंती समारोह - हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां:

राजभाषा हीरक जयंती समारोह - हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां:

राजभाषा हीरक जयंती समारोह - हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां:

-महत्वपूर्ण लोकार्पण-

भारतीय भाषा अनुभाग हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र का भावानुवाद देश की सभी भाषाओं में करेगा

प्रवर्तन संदेश

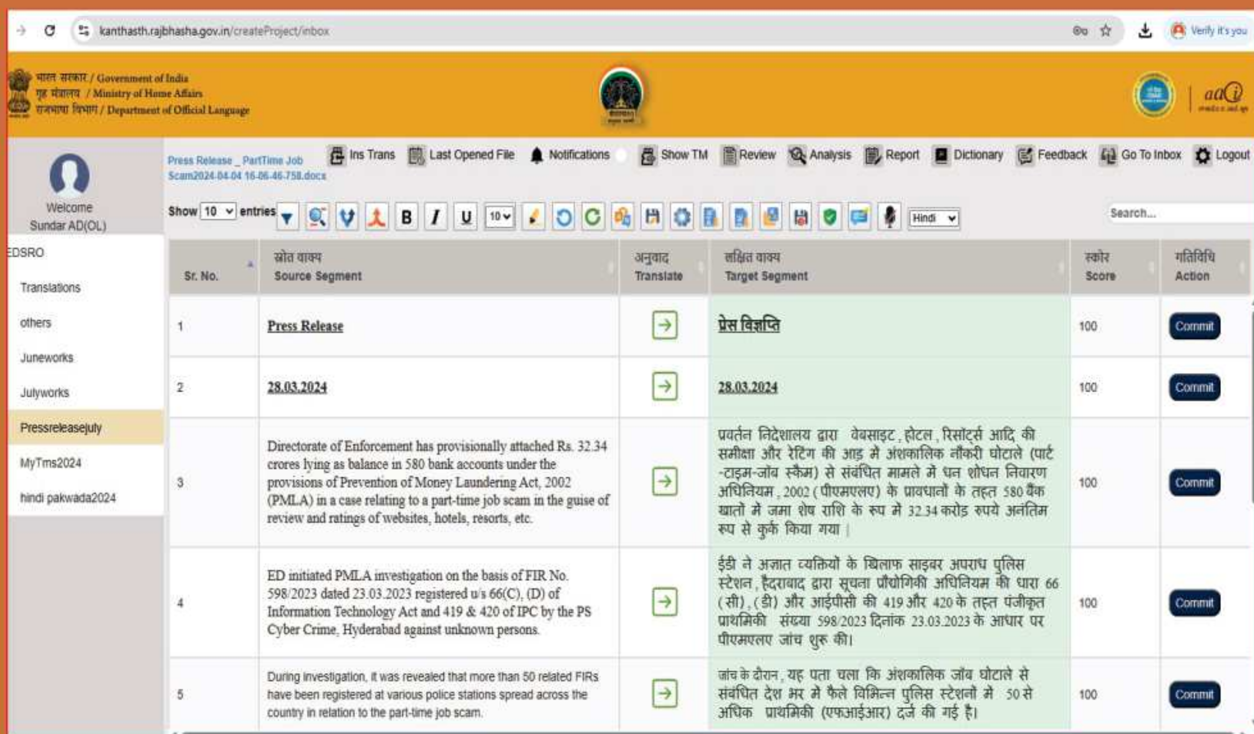

'कंठस्थ-2.0' पर आपके द्वारा किया गया कार्य वापस विभाग के सभी यूजर को मिलता है, इसके परिणाम काफी हद तक प्रभावशाली है

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली